FAQ
विशेष सर्वेक्षण कार्य से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न 1– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त क्या है।

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत सभी रैयतों जो किसी भी भूखण्ड के स्वामी हो, का अद्यतन अधिकार अभिलेख या खतियान तथा प्रत्येक रैयत के खेसरा (Plot) का मानचित्र वर्त्तमान परिस्थिति के अनुसार तैयार किया जाता है। इसके पश्चात् बन्दोबस्त प्रक्रिया अर्न्तगत भूमि की प्रकृति एव उपयोग के अनुसार रैयतवार भू–लगान का निर्धारण किया जाता है।

प्रश्न 2– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है?

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटाइज्ड ऑनलाईन अधिकार–अभिलेखों एवं मानचित्रों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतीकरण की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखना है। इस सर्वेक्षण का लक्ष्य समस्त भूमि सम्बन्धी सूचनाओं का एकीकृत प्रबंधन करते हुए प्रभावशाली तरीके से इसके सभी उपयोगकर्त्ताओं को एकीकृत, सरल एवं प्रभावी तरीके से सेवाएँ प्रदान करना है।

प्रश्न 3– कैडस्ट्रल एवं रिविजनल सर्वेक्षण क्या हैं एवं विशेष सर्वेक्षण इनसे किस प्रकार भिन्न है।

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के पूर्व बिहार में पहली बार बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 के वैधानिक आधार पर भू सर्वेक्षण का कार्य लगभग 1898 से लगभग 1920 तक किया गया था जिसका नाम ''कैडस्ट्रल सर्वे'' था। स्वतंत्रता के पश्चात किया गया रिविजनल सर्वेक्षण पूर्व में किए गए कैडस्ट्रल सर्वेक्षण का रिविजन या अद्यतीकरण था और इसकी कार्यपद्धति, वैधानिक आधार तकनीक इत्यादि पूर्णतः कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के समान थे।

वर्तमान में किए जाने वाले विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का वैधानिक आधार बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम एवं नियमावली है। इस सर्वेक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी (हवाई जहाज द्वारा प्रत्येक भुखण्ड के खीचें गए फोटो से तैयार आर्थो मानचित्र) की सहायता से मानचित्र का निर्माण किया जाना है तथा लगान बन्दोबस्ती की प्रक्रिया भी पूर्व से पूर्णतया भिन्न है।

प्रश्न 4– प्रश्नः– रैयतों का कर्त्तव्य क्या–क्या है?

उत्तरः– रैयतों का कर्त्तव्य निम्न प्रकार है।

(i) अपनी जमीन के मेड़ को वे ठीक–ठीक बना दें और सीमांकित कर लें।

(ii) वे अपनी–अपनी जमीन का कुल विवरण खेसरावार चौहदी के साथ स्व–घोषणा प्रपत्र–2 में भरकर शिविर में दें दें।

(iii) स्व–घोषणा (प्रपत्र) के साथ निम्न कागजात संलग्न करें।

(क) जमाबन्दी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद की छाया प्रति
(ख) खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो,तो)
(ग) दावाकृत भूमि से सम्बधित दस्तावेजों की विवरणी
(घ) मृत जमाबन्दी रैयत की मृत्यु की तिथि/वर्ष या मृत्यु प्रमाण पत्र छाया प्रति
(ड.) अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो, तो आदेश की सच्ची प्रति
(च) आवेदनकर्त्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने से संबंधित प्रमाण पत्र
(छ) आवेदनकर्त्ता के आधार कार्ड की छाया प्रति एवं मोबाईल नं0

(iv) रैयत अपना वंशावली प्रपत्र 3(1) में भरकर संलग्न कागजात के साथ शिविर या बंदोबस्त कार्यालय में जमा करेगें।

(v) किस्तवार एवं खानापुरी के समय रैयत को उपस्थित रहना चाहिए।

(vi) यदि जरूरत हो, तो सरजमीन पर भी अपनी मेड़ पर घूम कर अपनी जमीन की चौहद्दी बता देना चाहिए।

(vii) खानापुरी पर्चा (प्रपत्र 7) एवं खेसरा मानचित्र (L.P.M) मिलने के बाद इसका मिलान ठीक सके करें, अगर गलती मिले तो प्रपत्र 8 में दावा/आपत्ति करना है।

(viii) सुनवाई में ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए।

(ix) खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप (प्रपत्र 12) प्रकाशित अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन करना चाहिए, यदि गलती हो तो प्रपत्र 14 में आक्षेप दायर करना चाहिए। सूनवाई में ससमय उपस्थित होकर भाग लेना चाहिए।

(x) प्रपत्र 20 में अंतिम रूप से प्रकाशित किए गए अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन करना चाहिए। यदि गलती हो, तो प्रपत्र 21 में दावा/आपत्ति दायर करेंगें और सूनवाई में ससमय उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना चाहिए।

(xi) अधिकार अभिलेख (खतियान) की एक प्रति ''रैयती फर्द'' शिविर या बन्दोबस्त कार्यालय से अवश्य प्राप्त करना चाहिए।

प्रश्न 5– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के मुख्य प्रक्रम क्या है

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के मुख्य प्रक्रम इस प्रकार है :–

1. किस्तवार के पूर्व किए जानेवाले कार्य–इसके अर्न्तगत नियमावली द्वारा निर्धारित प्रपत्र 1 से 5 तक तैयार कर उनसे सम्बन्धित कारवाई की जाती है।
2. किस्तवार– यह प्रक्रिया मुख्यतः मानचित्र निर्माण एवं इससे सम्बन्धित कार्यो से है।
3. खानापुरी– मानचित्र के खेसरों के अनुसार उनके स्वामित्व का सत्यापन एवं निर्धारण।

4. सुनवाई– किस्तवार एवं खानापुरी की प्रक्रिया में तैयार किए गए मानचित्र और अधिकार अभिलेख के प्रारूप से सम्बन्धित रैयतों की आपत्ति/दावों की सुनवाई एवं उनका निष्पादन।
5. अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं लगान निर्धारण की कार्रवाई– किस्तवार, खानापुरी एवं सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन एवं रैयतों के साथ लगान बन्दोबस्ती।
6. अंतिम अधिकार अभिलेख के बाद की सुनवाई की प्रक्रिया– अंतिम अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निष्पादन एवं खातियान या अंतिम अधिकार अभिलेख तथा मानचित्र का अंतिम रूप से प्रकाशन एवं विभिन्न स्तरों पर संधारण।

प्रश्न 6– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 संशोधन 2019 द्वारा विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए कुल कितने प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं।

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 संशोधन 2019 द्वारा विशेष सर्वेक्षण का कार्य सम्पादित करने के लिए कुल 1 से 22 तक प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रपत्र 3 के साथ 3 (i) के रूप में वंशावली तथा 3 (ii) में याददाश्त पंजी तथा 18 (i) के रूप में लगान बन्दोबस्ती दर तालिका शामिल है।

प्रश्न 7– भूमि से सम्बन्धित अधिकार अभिलेख एवं अद्यतन मानचित्र का निर्माण एवं संधारण सम्बन्धी उद्देश्य क्या है?

उत्तर– 1 रैयतों/अभिधारियों द्वारा धारित/जोत भूमि का विवरण खाता, खेसरा, रकबावार तैयार किया जाना ताकि यह स्पष्ट रहे कि रैयत/अभिधारी की अद्यतन जोत की स्थिति, भूधारण की स्थिति क्या है।

2 सरकार, सरकार के विभिन्न उपक्रमों के स्वामित्व की भूमि का विवरण तैयार करना, तथा यह सुनिश्चित करना कि राज्य के स्थानीय प्रशासन के पास गैरमजरूआ आम प्रकृति एवं खास प्रकृति तथा अन्य स्वामित्व की भूमि का विवरण कितना है।

3 जोत की भूमि का वास्तविक लगान निर्धारण कर विवरण तैयार करना।

4 वास्तविक रैयत/भू–स्वामी/जोतदार का नाम अंकित कर अद्यतन रखना।

5 भूमि विवाद की स्थिति में अद्यतन भूमि अभिलेखों के आधार पर विवाद निराकरण हेतु कागजी साक्ष्य प्रस्तुत करना।

<u>सर्वेक्षण से पूर्व किए जाने वाले कार्य का प्रश्न एवं उत्तर</u>

प्रश्न 1– किस्तवार के पूर्व किए जाने वाले कार्य हवाई सर्वेक्षण एजेंसी का शर्त के रूप में क्या–क्या है?

उत्तर– सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ होने के पूर्व एजेंसियों द्वारा किस्तवार के पूर्व शर्त के रूप में तीन कार्यों को संपन्न किया जाता है।

(i) ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट (GCP) की स्थापना
(ii) ऑर्थोफोटोग्राफ की शुद्धता का सत्यापन (Ground Truthing)
(iii) राजस्व ग्राम मानचित्र का निर्माण एवं सत्यापन

प्रश्न 2– बन्दोबस्त कार्यालय सर्वेक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व अंचल कार्यालय एवं अन्य सरकारी कार्यालय से क्या–क्या प्राप्त करेगा ?

उत्तर– बन्दोबस्त कार्यालय अंचल कार्यालय एवं सरकारी कार्यालय से निम्न कागजात प्राप्त करना है।

(i) सभी राजस्व ग्रामों की जमाबंदी पंजी की डिजिटलाईड प्रति, soft copy के साथ
(ii) सरकारी भूमि, गैरमजरूआ आम/खास या मालिक, कैसरे–हिन्द, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के विभागों के भूमियों की सूची।
(iii) कैडस्ट्रल/रिविजनल सर्वे खतियान की छाया प्रति, डिजिटलाईड प्रति, soft copy
(iv) सुयोग्य श्रेणी के रैयतों के साथ बन्दोबस्त गैरमजरूआ आम/खास एवं वासगीत पर्चा, अधिशेष अर्जित भूमि के वितरण से सम्बन्धित विविध वाद पंजी–viii
(v) अंचल स्थित सभी रैयतों यथा हाट/बाजार/मेला/जलकर/फलकर आदि से सम्बन्धित सैरात पंजी जिसमें सम्बन्धित भूमि का विस्तृत विवरण अंकित हो।
(vi) खास महाल भूमि से सम्बन्धित विवरणी खास महाल पंजी, जिला खास महाल उप–समाहर्त्ता के द्वारा संधारित खास महाल पंजी की सत्यापित प्रति।
(vii) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों हेतु अर्जित भूमि की अभिप्रमाणित प्रति
(viii) बिहार रैयती भूमि में लीज नीति, 2014 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के द्वारा सतत् लीज पर प्राप्त भूमि की विवरणी
(ix) अर्जित भूमि/सतत् लीज की भूमि से सम्बन्धित नामान्तरण आदेश एवं शुद्धि पत्रों की विवरणी (अंचल कार्यालय एवं सतत् लीज पर भूमि प्राप्त करने वाले विभिन्न सरकारी विभागों से)
(x) रैयतों द्वारा बिहार सरकार (महामहिम राज्यपाल) को दान में दी गई भूमि की विवरणी।
(xi) महादलित वर्ग के लिए रैयतों / भू–मालिकों से सीधे खरीद की गई भूमि की विवरणी, भू–आवंटन आदेश, दाखिल खारिज सम्बन्धी शुद्धि पत्र।

प्रश्न 3– किस्तवार शुरू करने के पूर्व बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त द्वारा किया जाने वाला प्रशासनिक कार्य क्या–क्या है ?

उत्तर– बन्दोबस्त पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त द्वारा किया जाने वाला प्रशासनिक कार्य निम्न हैः–

(i) बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिले के लिए राजस्व ग्रामवर विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की कार्रवाई के लिए उद्घोषणा जारी किया जाना।

(ii) किस्तवार एवं खानापुरी अधिकार अभिलेख अद्यतन तैयार करने के लिए सम्बन्धित राजस्व ग्रामों के लिए खानापुरी दल का गठन तथा जिला के राज पत्र में प्रकाशित किया जाना।

(iii) बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा शिविर कार्यालय के कार्य करने हेतु सम्बन्धित अंचल के यथावश्यक आधारभूत सुविधा वाले सरकारी भवन/पंचायत सरकार भवन को कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया जाना।

(iv) शिविर कार्यालय को आवश्यक उपकरण कार्यालय उपस्कार उपलब्ध कराना साथ ही भूमि–अभिलेखो यथा विगत सर्वेक्षण खतियान, चकबंदी खतियान, जमाबंदी पंजी की कम्प्यूटरीकृत प्रति, अधिग्रहित भूमि, सरकारी भूमि, भूदान भूमि आदि का ब्यौरा/कागजात शिविर प्रभारी को उपलब्ध कराना।

(v) विशेष सर्वेक्षण के क्रियान्वयन से संबंधित जिले के जनप्रतिनिधियों/मिडियाकर्मियों, अन्य संचार कर्मियों को जानकारी देना तथा जिला के अभिधारियों में सर्वेक्षण कार्य में अपेक्षित सहयोग देने, अभिरूचि रखने के लिए अनुरोध किया जाना।

(vi) समाहरणालय/अनुमंडल/अंचल /जिला परिषद कार्यालय एवं अन्य सभी सार्वजनिक स्थलों पर विशेष भू–सर्वेक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन, अभिधारियों की सहभागिता के संबंध में होर्डिंग लगवाना।

(vii) सम्बन्धित शिविर कार्यालय/सरकारी भवनों के दीवालों पर कार्य सम्पन्न करने वाले सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो/अमिन आदि का नाम मोबाईल नम्बर सहित अंकित करवाना।

प्रश्न 4 – किस्तवार के पूर्व किए जाने वाले कार्य क्या–क्या है ?

उत्तर– किस्तवार के पूर्व किए जाने वाले कार्य निम्न है

(i) रैयतों/भू धारियों से स्वघोषणा शिविर कार्यालय में प्राप्त होने पर संबंधित राजस्व ग्राम के लिए प्रतिनियुक्त अमीन/कानूनगों की सहायता से स्वघोषण की जाँच उपलब्ध खतियान/जमाबंदी पंजी या भूमि से संबंधित दस्तावेजो के आधार पर सत्यापन किया जाना है

(ii) सत्यापन के पश्चात् प्रपत्र–3 में संधारित किया जाना है

(iii) भूमि अभिलेखो/दस्तवेजों की अनुपलब्धता या रैयत/भू स्वामी द्वारा प्रस्तुत नही किए जाने के कारण या किसी स्वघोषणा के सत्यापन नही होने या विवादस्पद होने पर पृथक पंजी (प्रपत्र–4) में संधारित किया जाना

(iv) शिविर में रैयतों द्वारा दिए गए वंशावली को संबंधित राजस्व ग्राम में ग्राम सभा के आयोजन कर ग्राम सभा से अनमोदन की कारवाई करना

(v) विगत अधिकार अभिलेख से प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) का संधारण किया जाना

प्रश्न 5 – स्थल सत्यापन हेतु शिविर प्रभारी द्वारा अमीन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराए जाने वाले कागजातों/सामग्रियों की विवरणी क्या– क्या है ?

उत्तर– अमीन को निम्न कागजात/सामग्री उपलब्ध कराया जाना है

(i) सम्बन्धित राजस्व ग्राम का हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया गया मानचित्र।

(ii) तुलनात्मक क्षेत्र विवरणी (रफ खेसरा संख्या)

(iii) रैयत/भू–स्वामी का स्वघोषणा प्रपत्र–2 तथा वंशावली प्रपत्र

(iv) विगत सर्वेक्षण खतियान की खतियानी विवरणी प्रपत्र–5

(v) विगत सर्वेक्षण मानचित्र

(vi) गैर–सत्याापित विवादस्पद भूमि की पंजी प्रपत्र–4

(vii) खेसरा पंजी एवं फिल्ड बुक

(viii) हवाई सवेक्षण एजेंसी का प्राधिकृत व्यक्ति ग्राम सीमा के निर्धारण हेतु

(ix) यथावश्यक ETS मशीन के साथ एजेंसी का प्राधिकृत व्यक्ति

(x) सम्बन्धित राजस्व ग्राम के रैयत/जनप्रतिनिधि जिन्हें इश्तेहार के माध्यम से आवश्यक सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया है।

(xi) ईटीएस/आवश्यकतानुसार मानवीय तकनीक का प्रयोग करने के लिए आवश्यक संसाधनों यथा तख्ती, तिपाई, स्केल इत्याादि

प्रश्न 5– सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ करने की सूचना हेतु प्रचार–प्रसार का क्या–क्या माध्यम होगा ?

उत्तर– प्रचार–प्रसार के लिए निम्नलिखित कारवाईयों का किया जाना आवश्यक है

(i) प्रचार–प्रसार हेतु हाट–बाजार के दिनों में बन्दोबस्त पदाधिकारी के निदेश पर चार्ज ऑफिसर द्वारा जिला प्रशासन से समन्वय कर माईक से प्रचार की जाए। पोस्टर सरकारी भवनों यथा अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, पंचायत भवन आदि पर चिपकाया जाए।

(ii) खानापुरी शुरू होने के पूर्व, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी यथासंभव गाँव के प्रमुख रैयत, पंचायत के मुखिया, उप–मुखिया तथा वार्ड सदस्य, सरपंच तथा स्कूल के शिक्षक आदि से सम्पर्क स्थापित करेंगे तथा निर्धारित तिथि को बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित करेंगे अन्यथा नोटिस द्वारा बैठक की जानकारी देंगे।

(iii) बैठक का मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीक से होने वाले सर्वे की जानकारी देना तथा इसकी महत्ता एवं उपयोगिता को बतलाना है। साथ ही रैयतों को प्रोत्साहित करना भी है कि निर्धारित तिथि को खेसराओं की जाँच/सत्यापन जब सरजमीन पर अमीन द्वारा आरंभ की जाए तो वह अपने कागजी प्रमाणों के साथ अपने–अपने खेतों पर उपस्थित रहें।

(iv) अधिकार अभिलेखों के खतियान में उनके नाम की प्रविष्टि नहीं होने के कारण भविष्य में इसके दुष्परिणाम की भी चर्चा की जाए।

(v) 25 प्रतिशत आम सभाओं में प्रभारी पदाधिकारी भी भाग लेंगे। आम सभा सार्वजनिक स्थल पर की जाए, किसी व्यक्ति विशेष के मकान या दालान में नहीं।

(vi) पंचायत समिति एवं वार्ड सदस्यों की सहभागिता पर जोर दी जाए।

(vii) आम सभा में सम्बन्धित हल्का कर्मचारी/अंचल/निरीक्षक/अंचल अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे, ताकि सर्वेक्षण कार्य में समन्वय स्थानीय राजस्व प्रशासन से बना रहे।

(viii) आम सभा की जानकारी सम्बन्धित थाना को अवश्य दी जाए तथा उनकी उपस्थित हेतु अनुरोध किया जाये।

(ix) आम सभा की जानकारी भू–अभिलेख एवं परिणाम निदेशालय को भी दी जाएगी।

(x) आम सभा में एजेंसी के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे तथा यदि उपलब्ध हो तो प्रोजेक्टर के माध्यम से ग्रामवासियों को नई तकनीक के सम्बन्ध में जानकारी देंगे।

(xi) सरकारी कार्यालयों को भी आम सभा की जानकारी दी जाए जिससे वे अपनी विभागीय भूमि का खाता खुलवाने हेतु सजग और सतर्क रहें।

(xii) स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से प्रत्येक माह आम सभा/खानापुरी कैम्प की अग्रिम सूचना का प्रकाशन किया जाए।

(xiii) यदि उक्त ग्राम में उसके आसपास सिनेमा हॉल/विडियो हॉल हो तो वहाँ भी स्लाईड द्वारा आम सभा की जानकारी दी जाए।

(xiv) वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in एवं सम्बन्धित जिला के वेबसाइट पर भी प्रत्येक माह के आम सभा/खानापुरी कैंप की अग्रिम सूची दी जायेगी।

(xv) बैठक की कार्यवाही का कार्यवाही पंजी में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो द्वारा प्रविष्ट किया जाना आवश्यक होगा।

विशेष सर्वेक्षण कार्य में किस्तवार प्रक्रम के संबंध में प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न 1– किस्तवार क्या है ?

उत्तर– किस्तवार का शाब्दिक अर्थ होता है किस्त+वार से बना है। किस्त का मतलब होता है जमीन का खण्ड यानि खेत जो कई मेडों से घेरा होता है, उसी मेडों को एक निश्चित पैमाना एवं स्वामित्व पर जमीन के हु–ब–हु नक्शा का निर्माण करने की प्रक्रिया को किस्तवार कहा जाता है।

प्रश्न 2– किस्तवार की अनिवार्यता क्या है ?

उत्तर– किस्तवार से प्रत्येक रैयत का हक को संरक्षित रखने हेतु एक मानचित्र का निर्माण होता है। किस्तवार के आधार पर स्वामित्व के अनुसार अधिकार–अभिलेख का निर्माण होता है। अतः सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में किस्तवार के आलोक निर्मित अधिकार–अभिलेख से ही न्याय–प्रणाली एवं विधि–व्यवस्था में अहम भूमिका अदा करती है।

प्रश्न 3– किस्तवार की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या है ?

उत्तर– किस्तवार के प्रथम प्रक्रिया में राजस्व ग्राम के सरहद (ग्राम–सीमा) का औद्योगिक प्रौद्योगिक के माध्यम से निश्चित पैमाना पर निर्माण किया जाता है। ग्राम के सरहद पर बने पुराने तीन–सीमानी पत्थर को खोज किया जाता है ओर विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का हवाई एजेंसी द्वारा विशेष सर्वेक्षण नियमावली– 2012, के नियम–7 उप नियम–1 एवं 2 के अनुसार ग्राम–सीमा निर्धारण किया जाता है और तैयार मानचित्र को विशेष सर्वेक्षण नियमावली– 2012 के नियम–7 उप नियम–3 के अनुसार अमीन द्वारा 100% सत्यापन करते है।

प्रश्न 4– अंचल में सर्वेक्षण कार्य करने के लिए ग्राम का चयन किस दिशा से शुरू करना चाहिए।

उत्तर– अंचल के उत्तर–पश्चिम से ग्रामों का चयन करें जिसमें किस्तवार किया जाए।

प्रश्न 5– किस्तवार में टाई–लाईन का क्या महत्त्व है ?

उत्तर– किस्तवार करने के क्रम में टाई–लाईन की अहम भूमिका होती है। किसी मुस्तकिल (Fix point) का निर्माण करने या पूर्व से बने मुस्तकिल (Fix point), तीन सीमानी पत्थर, स्थायी संरचना आदि की जाँच टाई–लाईन देकर की जाती है।

प्रश्न 6– किस्तवार करने में मुस्तकिल (Fix point) कायम कैसे की जाती है एवं क्यों ?

उत्तर– किसी भी तीन–सीमानी पत्थर कोई भी मुस्तकिल (Fix point) की जाँच करने हेतु किसी तीन तीन मेड़ा या चौर मेड़ा पर तीन तरफ से 2.5 जरीब (66.6 x 2.5 फीट) से 7 जरीब (66.6 x 7 फीट) की लम्बाई पर स्थित तीन मेड़ा या चौड़ मेड़ा से टाई–लाईन चला कर दी जाती है यदि सरजमीन (स्थल) एवं नक्शा की दूरी मिल जाती है तो उस स्थान पर मुस्तकिल बना दी जाती है बिना मुस्तकिल बनाए किस्तवार करना असंभव होता है।

प्रश्न 7– दहला (+) का क्या महत्त्व होता है ?

उत्तर– मानचित्र में दहला (+) 10 जरीब (एक जरीब = 66.6 फीट) रहता है जो मानचित्र पर लम्बत् एवं क्षैतिज दर्शाया जाता है एवं पंजा पाँच जरीब होता है।

प्रश्न 8– अलामत से क्या समझते है ?

उत्तर– जमीन पर बने हुए संरचना, पेड़ (यथा–ताड़, खजूर एवं आम) चिह्न को नक्शा पर हु–ब–हु दिखाने की प्रक्रिया को अलामत कहा जाता है।

प्रश्न 9– मानचित्र सरहद (Boundary-line) पर बिन्दु (Dot) का क्या मतलब होता है ?

उत्तर– मानचित्र पर बनाए गए ग्राम–सीमा या सरहद (Boundary-line) के अंदर, बाहर या अंदर–बाहर सामानरूप से बनाया रहता है। यदि सीमा–रेखा के बाहर बिन्दु हो तो ग्राम–सीमा पर सिर्फ नामित मौजा का स्वामित्व रहता है। परन्तु ग्राम–सीमा (सरहद) के अंदर बिन्दु रहने पर चौहद्दी नामित मौजा का स्वामित्व होता है।

यदि सरहद या ग्राम–सीमा पर दोनों तरफ बिन्दु हो तो दिशानुसार नामित चौहद्दीदार मौजा एवं नामित मौजा का सामानरूप से अधिकार होता है।

प्रश्न 10– तोखा लाईन क्या है ?

उत्तर– तीन–सीमानी पत्थर से सटे लाईन को तोखा लाईन कहते है, जिसकी दूरी 1 जरीब (66.6 फीट) होती है।

प्रश्न 11– मानचित्र पर दिशा–निर्देशांक किस तरफ रहता है ?

उत्तर– मानचित्र के बायें तरफ (Left Side) दिशा–निर्देशांक होता है।

प्रश्न 12– अंचल में सर्वेक्षण का कार्य किस दिशा से शुरू किया जायें ?

उत्तर– किस्तवार का कार्य के लिए ग्राम का चयन कलस्टर में किया जाए। ग्रामों का चयन कलस्टर में होने पर ग्राम–सीमा का मिलान सही तरीके से हो सकेगा।

प्रश्न 13– ऑर्थो फोटोग्राफ क्या है?

उत्तर– हवाई सर्वेक्षण पुराने पद्धति से किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्यो का ही नकल है। इस पद्धति में सबसे पहले हवाई जहाज से ढ़ेर सारे फोटों खींचे जाते है। ये फोटोग्राफ एक खास ओवरलैप (अतिव्याप्ति) के साथ खींचे जाते है, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से खींचे गये सारे फोटोग्राफ का मोजेकिंग (नत्थी) किया जाता है। मोजैकिंग से तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र का फोटोग्राफ तैयार हो जाता है, जबकि (Single) फोटोग्राफ में जमीन का बहुत छोटा क्षेत्र दिखाता है। मोजैक बनाने के बाद भी यह जमीन की सही प्रतिकृति नहीं होता है, इसका कारण यह है कि कोई भी जमीन बिल्कुल समतल नहीं होता बल्कि उसमें उँचाई, निचाई होता है। उस उँचाई, निचाई के कारण फोटोग्राफ या मोजैक में थोड़ा अंतर आ जाता है, जिसे रिलीफ डिस्टॉर्सन या रेडियल डिस्प्लेसमेंट (Relief distortion or Radial displacement) कहा जाता है। एक और तरह का डिस्टॉर्सन हवाई कैमरे के एगिंल (Angle) या झुकाव (Orientation) से भी उत्पन्न होता है। इसी डिस्टॉर्सन मुक्त मोजैक का जब जियो–रेफरेंसिंग या भू–सदर्भन (Geo-Referencing) किया जाता है तो उसे ऑर्थोफोटोग्राफ कहा जाता है। इसका मुख्य लाभ यह है किसी भी नापी के लिए जमीन पर जाने की जरूरत नहीं रह जाती है बल्कि ऑर्थोफोटोग्राफ पर ही जमीन से संबंधित सारे माप–कार्यों को संपादित किया जा सकता है। इसलिए ऑर्थोफोटोग्राफ की शुद्धता भविष्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है।

प्रश्न 14– ऑर्थो सत्यापन कैसे करें?

उत्तर– ऑर्थो फोटोग्राफ के सत्यापन का अर्थ सरल शब्दों में यही है कि तैयार किया गया ऑर्थोफोटोग्राफ बिल्कुल जमीन के मुताबिक है या नहीं ? ऑर्थोफोटो की शुद्धता सत्यापित करने का सामान्यतः दो तरीका है।

(i) निरपेक्ष शुद्धता– अर्थात् भू–संदर्भित आर्थोफोटोग्राफ पर किसी नियत बिन्दु का निर्देशांक चिह्नित कर लिया जाता है पुनः ठीक उसी बिन्दु का जमीन पर डी0जी0पी0एस0 लगाकर निर्देशांक का माप लिया जाता है। ये दोनों निर्देशांक समान होना चाहिए या इसके बीच 20 सेमी से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

(ii) सापेक्ष शुद्धता– इसमें बजाए एक बिन्दु का निर्देशांक मान निकालने के दो बिन्दुओं के बीच दूरी निकाली जाती है। ऑथोफोटोग्राफ पर चिह्नित किय गए दो बिन्दुओं की दूरी निकाली जाती है। ठीक उसी बिन्दु को जमीन पर पहचान कर उनके बीच की दूरी ई0टी0एस0 से माजी जाती है। इन दोनो दूरियों का अंतर प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण के मानको के अनुसार 20 सेमी से कम होना चाहिए। ऐसी किसी भी दूरी को मापने वक्त ध्यान रखना चाहिए कि दोनो चिह्नित बिन्दु 1 किमी से अधिक दूरी पर स्थित हो एवं उनके बीच अवरोध न हो ताकि ई0टी0एस0 से मापी की जा सके।

एक दो दिशाओं में इस प्रक्रिया को पूरा कर लेने से ऑर्थो की सत्यता के बारे में आश्वस्त हुआ जा सकता है।

प्रश्न 15– T.C.P की संख्या किसी गाँव के लिए कैसे निर्धारित करें?

उत्तर– ग्राउंड कंट्रोल प्वाइंट (G.C.P) की शुद्धता और उसकी संख्या किसी भी देश राज्य या निकाय के लिए सर्वेक्षण हेतु आधारभूत अवसंरचना (Basic Infrastructure) की भूमिका निभाता है, स्पष्ट है कि बिहार के लिए भी इस Infrastructure की अनदेखी नहीं की जा सकती है। साथ ही यह सत्य है कि इस Infrastructure का निर्माण सर्वेक्षण कार्य के दौरान ही संभव है इसलिए अगर अभी यथेष्ट संख्या में G.C.P का संजाल नहीं तैयार किया जाता है। तो भविष्य में इसकी संभावना और भी कम होगी जो स्थानीय मापी की शुद्धता को सीधे प्रभावित करेगी।

DILRMP की गाईडलाईन (Chapte 2B) के अनुसार G.C.P का संजाल प्रत्येक वर्ग किमी0 तक वितरित होना चाहिए। प्रत्येक गाँव के तीनसीमाना को स्थानीय माजी की सुविधा के लिए स्थापित किया जाना है। इसके अलावा भी एजेंसियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि प्रत्येक गाँव में एक या दो T.C.P (Tertiary Control Point) बनाया जाएगा। अगर किसी गाँव का फैलाव बहुत ज्यादा हो तो ऐसी स्थिती में गाँव में स्थापित किए जाने वाले T.C.P की संख्या क्या हो। एजेंसियों द्वारा S.C.P (Secondary Control Point) को 16 किमी X 16 किमी की ग्रिड पर मौटे तौर पर स्थापित किया गया है। अगर समरूप वितरण के आधार पर देखा जाए तो 256 Sq.km के विस्तार में सिर्फ एक S.C.P पड़ रहा है जो कि बिल्कुल ही अपर्याप्त है, इसलिए यह निहायत ही जरूरी है कि ग्रामसीमा पर पड़ने वाले सभी तीनसीमाना को स्थापित करने के बाद और गाँव के बीच में एक या दो T.C.P के स्थापित होने के बाद भी अगर किसी दो G.C.P के बीच 2 किमी से अधिक की दूरी हो तो T.C.P स्थापित किया जाना चाहिए। अर्थात्

(i) 2 किमी X 2 किमी के क्षेत्र में एक T.C.P जरूर हो।

(ii) 1 किमी X 1 किमी का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं हो, जिसमें कि कोई G.C.P नहीं हो चाहे वह (PCP,SCP,TCP या ACP या तीनसीमाना) ही क्यों न हो।

(iii) ग्राम का प्रत्येक तीनसीमाना सुस्पष्टता के साथ स्थापित हो ताकि स्थानीय माप कार्यों में इससे मदद मिल सके तथा रेवेन्यु ग्राम के स्थिरीकरण में इसका उपयोग किया जा सके।

प्रश्न 16– ओभर लैप और गैप की समस्याओं का ग्राम–सीमा के संदर्भ में समाधान की प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तर– (i) ओभर लैप और गैप वास्तव में नक्शा की बाउण्ड्री मिलान के दौरान दिखायी पड़ने वाली समस्याएँ है। स्थल पर सही ढंग से विभिन्न रैयतों में खेतों की नापी करने पर (Ground truthing) अंतर नहीं रहता है।

(ii) नक्शा पर दिखने वाली इन समस्याओं का कारण वास्तव में विभिन्न स्केल के आधार पर फाईनल की गयी गत् सर्वे का स्कैनिंग नक्शा एवं बाउण्ड्री लाईन का ड्राफ्टिग एरर है। गत् सर्वे का ग्रामीण–सीमा पर आज कोई विवाद नहीं है और न ही बदलाव करना है।

(iii) समाधान हेतु सर्वप्रथम दोनों ग्रामों के ऐसे स्थलों पर जहाँ ओभर लैप एवं गैप पायी गयी है, जाकर बाउण्ड्री लाईन के समीप का उस पार्सल की जाँच करेंगे कि यह पार्सल/खेसरा वास्तव में किस ग्राम की है अर्थात किस राजस्व ग्राम के खतियान/जमाबंदी के अंतर्गत का है। इस खेसरा को अब संबंधित ग्राम के नक्शा में दर्शाने की कार्रवाई करेंगे। ऐसा करने हेतु सन्निकट मुस्तिकल से दूसरे ग्राम के मुस्तिकल की दूरी मापेंगे तथा दोनों मुस्तिकल के बीच में पड़ने वाले सभी खेसराओं का कटान का मिलान करते हुए। एरिया करेक्शन कर ओभर लैप एवं गैप का निदान कर कॉमन बाउण्ड्री फिक्स करेंगे जो सीमा पर के खेसराओं का आउट लाईन की मिलान से निर्मित होगा।

वर्त्तमान समय में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप मानचित्रों के निर्माण हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है। इसका उद्देश्य मानचित्र निर्माण को अधिक से अधिक शुद्ध करना एवं REAL TIME MAP का निर्माण करना है। वास्तव में मानचित्र का निर्माण में वास्तविक जमीन की स्थिति से मानचित्र बनाया जाता है न कि मानचित्र के अनुसार जमीन को। पुराने मानचित्रों का निर्माण आधुनिक संसाधनों के स्थान पर परंपरागत साधनों की सहायता से किया गया था साथ ही स्कैलिंग पद्धति में भिन्न–भिन्न स्केलों को अपनाया गया, जबकि आधुनिक तकनीक में मानचित्रों का निर्माण सर्वाधिक शुद्ध रूप से किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि मानचित्र सत्यापन के क्रम में आई जाने वाली त्रुटियों का परिमार्जन हर–हाल में कर लिया जाए ताकि भविष्य में दो ग्रामों की सीमा में अथवा अन्य किसी तरह की सीमा विवाद की गुंजाइश नहीं रहें।

मानचित्र में ओभरलैप और गैप की समस्या को निम्न प्रक्रिया के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

प्रश्न 17– एजेंसी के द्वारा किस–किस तरह की सहायता मिलनी है?

उत्तर– प्रवर्तमान विशेष सर्वेक्षण हवाई तकनीक द्वारा कराया जा रहा है सर्वेक्षण के प्रांरभ से लेकर अतं तक एजेंसी की किसी न किसी रूप में सहयोगात्मक भूमिका है। एजेंसी को अपनी तरह से जो सहयोग देना है वह सर्वेक्षण देना है वह सर्वेक्षण कार्य के लिए आवश्यक है।

1. GPC का प्रि–मोन्युमेंटेशन
2. हवाई फोटोग्राफी और वैटिंग क्लीयरेंस
3. ऑर्थोफोटोग्राफ का निर्माण
4. ग्राम का अद्यतन खेसरा मानचित्र
5. तीनसीमाना और अन्य आवश्यक GCP पोस्ट–मोन्युमेंटेशन
6. भूमि पर आए परिवर्त्तनों और संशोधनों का मानचित्र पर अंकन
7. प्रि–मोन्युमेंटेशन एवं पोस्ट–मोन्युमेंटेशन वाले सारे GCP का दोनो फॉर्मेट में विवरण उपलब्ध कराना।
8. एरिया स्टेटमेंट का तुलानात्मक विश्लेषण समर्पित करना
9. फिल्ड में किस्तवार के दौरान ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 एवं सपोर्ट स्टॉफ मुहैया कराना एवं दैनिक फिल्ड रजिस्टर मेनटेन करना।
10. खेसरा पंजी को डिजिटाईजेशन कराना।
11. खानापुरी के दौरान L.P.M वितरित करना तथा ई0टी0एस0, डी0जी0पी0एस0 आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना।
12. रैयतो को नोटिस वितरित करना (सुनवाई का)
13. हरेक स्तर की आपत्तियों का कम्पयुटर रिकार्ड रखना D.T.D.B (Digital Topographic Data Base) में
14. अंतिम रूप में तैयार टोपोग्राफिक डाटा बेस के सॉफ्ट कॉपी को पी0एम0यू0 को समर्पित करना
15. ROR और Map को Integrate करना
16. GIS Database को Upload करना

प्रश्न 18– आधुनिक सर्वेक्षण, 2011 में किस्तवार में क्या–क्या होना है?

उत्तर– मुख्यतः चार कार्य होना हैः

(i) ऑर्थो सत्यापन (प्रश्न संख्या–01 और 02 का संदर्भ करें)।

(ii) मुस्तकिल के संजाल के रूप में T.C.P (Tertiary Control Point) और तीनसीमाना (Tri-junctions) का स्थापना तथा अद्वितीय उभनिष्ठ ग्राम–सीमा (Unique and common village boundary½ का स्थिरीकरण।

(iii) ग्राम के अंतर्गत सभी खेसरों का क्रमांकन (Numbering)।

(iv) प्रत्येक खेसरे में स्थित स्थायी संरचना का भौतिक विवरण उपलब्ध कर लेना।

प्रश्न 19– Area Statement नए पुराने में कैसे संबंध बैठाया जाए?

उत्तर– निम्नोक्त फॉर्मेट में अगर एरिया स्टेटमेंट का तुलनात्मक विश्लेषण ले लिया जाय तो संबंध बैठाने के लिए एक Readymade reference मिल जाएगा।

प्रश्न 20– तीनसीमाना (Tri-junctions) के पहचान (फिक्स) करने की प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तर– सभी आसन्न ग्रामों के अमीन को मौका पर उनके ग्राम का नकशा तथा खाका के साथ फिक्सिग करेंगे। फिक्सिग का तरीका यह होगा कि प्रत्येक ग्राम के दो निकटस्थ मुस्तिकल से तीनसीमानी/चौहदा की दूरी माप कर एक बिन्दु चिह्नित करेंगे। उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम से अलग–अलग बिन्दू कायम करेंगे। किन्हीं दो ग्रामों के मिलान बिन्दू को फिक्स कर अन्य ग्रामों का जंकशन मान्य करेंगे। ऐसा करते समय मुस्तकिल से कटान का मिलान भी अवश्य करते हुए रकवा करेक्शन करेंगे। तीनसीमानी स्थापित करते हुए रकवा करेक्शन करेंगे। तीनसीमानी और चौहदा फिक्स करने में कॉ–ऑर्डिनेट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जमीन पर प्रत्येक बिन्दु का कॉ–ऑर्डिनेट (अक्षांश–देशांतर और ऊँचाई) अलग–अलग होता है। स्थापित सारे तीनसीमानी और टाई–लाईन के मुस्तकिल का कॉ–आर्डिनेट भी सुरक्षित कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में तीनसीमानी पहचानने में परेशानी नहीं हो।

प्रश्न 21– किस्तवार के कार्य में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो और अमीन की क्या भूमिका होगी?

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम की धारा, 6 के अंतर्गत किस्तवार का क्रियान्वयन आधुनिक तकनीक से किया जाना है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 की धारा, 7 द्वारा किस्तवार की प्रक्रिया एवं उससे संबंधित पदाधिकारी की भूमिका को स्पष्ट किया गया है। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अमीन की है, चूकि अमीन को पूर्व के कैडेस्ट्रल मानचित्र के संदर्भ में आधुनिक तकनीक से निर्मित मानचित्र के प्रत्येक भू–खण्ड का शत–प्रतिशत सत्यापन करना है। कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से यह आवश्यक है कि उनके द्वारा इस बात की भली भाँति जाँच कर ली जाए कि मानचित्र से संबंधित सभी ब्यौरे, तकनीकी ब्यौरे (Different layer) Land mark इत्यादि को संबंधित एजेंसी द्वारा दर्शाया गया है या नहीं। सारे तीनसीमानो को एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया है या नही।

इसके साथ ही इस बात की भी संतुष्टि कर ली जाए कि वर्त्तमान नए मानचित्र की सीमा चौहदी वाले सारे गाँवों से ठीक–ठीक मेल खाती है या नहीं अर्थात मानचित्र निर्माण में ओभरलैपिंग एवं गैपिंग की त्रुटि को दूर कर लिया गया है।

प्रश्न 22– किस्तवार में सर्वेक्षण किए जाने वाले ग्रामों के चयन करने हेतु अमीन को मानचित्र आवंटित करने का आधार क्या होगा?

उत्तर– एजेंसी द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी से तैयार किए गए मानचित्रों की प्राप्ति के पश्चात् सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा अग्रेतर कार्रवाइ हेतु अमीन को मानचित्र उपलब्ध कराया जाता है। मानचित्र उपलब्ध कराते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि एक साथ तीन–चाार अमीन को आपस में सटे हुए ग्राम जिनकी सीमा–रेखा आपस में मिलती हो, आवंटित किया जाना चाहिए और सभी ग्रामों में एक साथ कार्य शुरू करना चाहिए ताकि ग्रामों की सीमा का निर्धारण सही तरीके से किया जा सके।

प्रश्न 23– किस्तवार का कार्य सम्पन्न करने का अवधि क्या होगा ?

उत्तर– किस्तवार से संबंधित समस्त कार्यों का समापन तीस दिनों से अनधिक अवधि में करना आवश्यक होगा।

प्रश्न 24– किस्तवार कियान्वयन का प्रक्रम क्या है?

उत्तर– किस्तवार के कियान्वयन का प्रक्रम निम्न प्रकार है।

(1) मानचित्र वितरण एवं प्राथमिक दायित्व
(2) त्रि–सीमानों एवं मुस्तकिलों की पहचान और दो मुस्तकिलों का DGPS ऑब्जर्वेशन
(3) ग्राम–सीमा का सत्यापन
(4) खेसरों की नम्बरिंग
(5) ग्राम आबादी/बस्ती का सीमांकन तथा राजस्व ग्राम का चादरों में विभाजन
(6) खेसरों से सम्बन्धित अलाममों या भौतिक विवरणी का तत्संग फीचर लेयर में एकत्रण
(7) एरियाप स्टेटमेंट एवं खेसरों का Parent-Child सम्बन्ध विवरण
(8) खानापुरी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व का चेकलिस्ट

प्रश्न 25– किस्तवार प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिनियुक्त अमीन को प्राप्त मूल कैडेस्ट्रल सर्वे/रिवीजिनल सर्वे/चकबंदी मानचित्र से क्या करना है?

उत्तर– किस्तवार प्रारंभ करने के पूर्व प्रतिनियुक्त अमीन मूल कैडेस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे/चकबंदी मानचित्र एवं हार्ड कॉपी में संदर्भ हेतु दर्शायी गई सीमा का मिलान कर लेंगे कि आवंटित ग्राम अपनी आकृति की साम्यता प्रदर्शित कर रहा है एवं मानचित्र आवंटित ग्राम का ही है।

प्रश्न 26– दो राजस्व ग्रामों के मध्य की सीमा रेखा किस प्रकार निर्धारण किया जाएगा?

उत्तर– जमीन वास्तविकताओं और विगत सर्वेक्षण मानचित्र (कैडेस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी) का ग्रामसीमा के सम्बन्ध में केवल सन्दर्भ लेते हुए unique village boundary का निर्धारण अर्थात् दो राजस्व ग्रामों के मध्य एक और एक ही सीमा रेखा का होना आवश्यक है।

प्रश्न 27– फीचर लेयर क्या है? खेसरे की भौतिक विवरणी से इसका क्या संबंध है? पूर्व के अमानत से इसका क्या संबंध है?

उत्तर– कोई भी मानचित्र वास्तव में किसी भौगोलिक स्थान की प्रतिकृति होता है, सच कहे तो मानचित्र भौगोलिक यथार्थ के पुनर्निर्माण का कार्य है। कोई भी गाँव अपने खेसरो से मिल कर बना होता है, खेसरो में स्थित वनस्पति, बसावट के तरीके, मकान का आकार–प्रकार, जल निकायों की अवस्थिति, परिवहन और संचार के साधन, चट्टानों और उच्चावच की भू–आकृतिक विशेषताएँ या ऐसी ही कोई अन्य स्थाई संरचना उस गाँव को एक भौगोलिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। इन्ही भौतिक विवरणों को जी0आई0एस0 संबंधी उपयोग के लिए मानचित्र में अलग–अलग दर्शाया जाता है, इसे ही फीचर लेयर कहा जाता है। पुराने समय में कैडेस्ट्रल मैप में अलामत के सहारे यही काम किया जाता था। नीचे इसकी विवरणी दी जा रही है अगर कोई फीचर लेयर इसमें छुट रहा हो तो उसे शामिल कराने के लिए निदेशालय को सूचना दी जा सकती है।

प्रश्न 28–ग्राम वार दो स्थायी संरचनाओं का ऑब्जर्वेशन लेकर कहाँ संरक्षित रखा जाएगा ?

उत्तर– वर्तमान में हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा पोस्ट मोन्यूमेंटेशन के रूप में प्रत्येक राज्स्व ग्राम में TCP के रूप में दो बिन्दु की पहचान की जानी है। तथा उनका DGPS ऑब्जर्वेशन कर मानचित्र निर्माण हेतु GCP नेटवर्क में शामिल किया जाना है।

प्रश्न 29– आबादी का सीमांकन का स्केल क्या होगा ?

उत्तर– आबादी का सीमांकन चादर संख्या के संदर्भ के साथ जिसे 1:1000 के पैमाने पर निर्मित किया जाना है।

प्रश्न 30– ETS का पूरा नाम क्या है। इससे क्या कार्य किया जाता है?

उत्तर– ETS – Electronic Total Station टोटल मशीन से मापी का कार्य किया जाता है।

प्रश्न 31– विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भण हेतु सूचना ग्राम में किसे देना है?

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भण हेतु सूचना बन्दोबस्त कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाएगा उक्त सूचना पर यथासंभव अमीन द्वारा स्थानीय मुखिया/हारे हुए मुखिया, सरपंच/हारे हुए सरपंच तथा कास्तकारों से हस्ताक्षर प्राप्त कर बन्दोबस्त कार्यालय में तामीला सौपा जाएगा।

प्रश्न 32– पुरानी कैडेस्ट्रल सर्वे/रिविजनल सर्वे/चकबंदी मानचित्र का प्रयोग किस कार्य के लिए करना है?

उत्तर– हवाई सर्वेक्षण एजेंसी मानचित्र पर विशेष सर्वेक्षण की सरजमीनी सीमा को मोटी रेखा से हार्ड कॉपी में प्रदर्शित करेंगी तथा पुरानी कैडेस्ट्रल सर्वे/रिवीजिनल सर्वे/चकबंदी मानचित्र की सीमा को हल्के रंग से **केवल संदर्भ हेतु** प्रदर्शित करेगी। जिसे संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाएगा

प्रश्न 33– त्रि–सीमाना क्या है?

उत्तर– त्रि–सीमाना वह बिन्दु हैं जहाँ विभिन्न तीन मौजों की सीमा आपस में मिलती हो। मानचित्र पर यह तोखा लाईन के साथ दर्शाया जाता है जो नक्शे पर एक जरीब (साढ़े छयासठ फीट) हटकर दो रास्वों ग्रामों के मध्य उभयनिष्ठ सीमा का रूख बताते हुए पाँच जरीब की लाईन बनी रहती है।

प्रश्न 34– वर्तमान विशेष सर्वेक्षण मानचित्र की सीमा पर त्रिसीमाना पत्थन स्थल पर मौजुद हो तो शुद्धता की जाँच कैसे करेंगे?

उत्तर– टाई लाईन से इसकी शुद्धता की जाँच की जाएगी वर्तमान किस्तवार प्रक्रिया के अनुसार त्रिसीमाना खानापुरी के लिए दिए गए मानचित्र में चिन्हित किया जाएगा।

प्रश्न 35– त्रिसीमाना का भी ऑर्थोमान (आक्षांश–देशांतर) क्या लेना है?

उत्तर– जहाँ तीन मौजा की सीमा मिलती हो तीनो राजस्व ग्राम सीमा के इस मिलन बिन्दु को त्रि–सीमाना के रूप में चिन्हित किया जाएगा इसके ऑर्थोमान (अक्षांस–देशांतर) का डाटा बेस में कर लिया जाए जिससे दोबारा मुस्तकिल कायम करने की आवश्यकता नही होगी एवं इन्हे नक्से पर अंकित कर दिया जाएगा।

प्रश्न 36– ग्राम में स्थायी संरचना के रूप में क्या पहचान करना है?

उत्तर– स्थायी संरचना सार्वजनिक प्रकृति जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी भवन, कुआँ आदि के रूप में।

प्रश्न 37– चयन किए गए मुस्तकिलों का ऑब्जर्वेशन किस रूप में रख जाएगा?

उत्तर– चयन किए गए मुस्तकिलों में से दो सुविधाजनक मुस्तकिलों T.C.P (Tertiary Control Point) के रूप में चिन्हित किया जाना है जिसका 45 मिनट का DGPS ऑब्जर्वेशन पोस्टमार्किंग के रूप में किया जाएगा तथा इसके (x,y,z) मान को GCP के नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। z मान T.C.P. की ऊचाई समुद्र तल से प्रदर्शित करता है।

प्रश्न 38– दो मुस्तकिलों के बीच क्या दूरी होनी चाहिए?

उत्तर– अमुक दोनो मुस्तकिल सुविधाजनक स्थान पर होने के साथ–साथ राजस्व ग्राम में अधिक्तम दूरी पर अवस्थित हों।

प्रश्न 39– स्थल एवं ऑर्थोफोटोग्राफ के कोर्डिनेट से मैच नही करने पर सुधार करने का दायित्व किसका है?

उत्तर– जमीन पर मुस्तकिल का जो भी ऑब्जर्वेशन कॉडिनेट है वो आर्थोफोटाग्राफ के कॉर्डिनेट से मैच करना चाहिए। त्रुटि पाई जाने की स्थिति में ऐजेंसि का दायित्व होगा कि त्रुटि निवारण का निर्धारित शुद्धता मानकों के साथ मानचित्र का सुधार कर पुनः समर्पित करें।

प्रश्न 40– ग्राम सीमा सत्यापन का क्या प्रक्रिया होगा ?

उत्तर– चयनित राजस्व ग्राम एंव उसके सन्निकट ग्रामों का अमीन अपने–अपने ग्राम की साझा मिलान सीमा पर एक साथ किसी बिन्दु कार्य प्रारम्भ करेंगे। इस दौरान अमीन के पास विशेष सर्वेक्षण मानचित्र और कैडस्ट्रल/रिविजनल/चकबंदी मानचित्र एवं सीमावर्ती खेसरों की यथासंभव ग्रामीणों की उपस्थिति में ग्राम–सीमा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करेंगे। दोनों अमीन विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर प्रदर्शित सीमा–रेखा का मिलान वर्तमान जमीनी हकीकत से करेंगे। यदि दोनों में भिन्नता पाई जाती है तो सरजमीनी वास्विकता को लाल स्याही से विशेष सर्वेक्षण मानचित्र पर अंकित करेंगे। वरीय पदाधिकारी को प्रतिविदित करेंगे।

विस्तृत रूप से तकनीकी मार्गदर्शिका के किस्तवार में ग्राम सीमा सत्यापन की प्रक्रिया के अध्याय में उल्लेखित है।

प्रश्न 41– ग्राम एवं आसन्न ग्राम में विगत सर्वेक्षण संबंधित कोई भी मुस्तकिल नही है, तो ग्राम सीमा का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर– विशेष परिस्थिति में जहाँ ग्राम अथवा उसके आसन्न ग्राम में विगत सर्वेक्षण कोई भी मुस्तकिल नही हो तो वहाँ वर्तमान में जमीन की वास्तविक ग्राम सीमा का निर्धारण विगत सर्वे के ग्राम–सीमा का संदर्भ लेते हुए विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में प्रदर्शित ग्राम–सीमा के आधार पर किया जाएगा।

प्रश्न 42– सीमावर्ती खेसरों पर रैयतों का शांतिपूर्ण दखल न होना?

उत्तर– ग्राम–सीमा पर अवस्थित खेसरों के रैयाती प्रकृति होने की स्थिति में यदि किसी सीमावर्ती खेसरा का रैयत आसन्न सन्निकट ग्राम की सीमा के अंदर खेसरा अथवा निकट के राजस्व ग्राम के अपने स्वामित्व का दावा प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में सीमा पर स्थित खेसरों के वर्तमान दखल कब्जा एवं जमीन पर परिलक्षित सीमा–रेखा के अनुसार सीमा–रेखा का निर्धारण किया जाएगा एवं रैयतों के रकबा सम्बन्धी विवाद का निपटारा सुनवाई की प्रक्रिया के प्रक्रम में किया जाएगा।

प्रश्न 43– सीमावर्ती खेसरों के विलय होने की स्थिति में?

उत्तर– ग्राम सीमा पर यदि किसी रैयत द्वारा अपने स्वामित्व वाले दो आसन्न राजस्व ग्रामों के सीमावर्ती खेसरा/खेसराओं को मिलाकर एक खेसरा का निर्माण कर लिया गया है तो ऐसी स्थिति में रैयत से स्वामित्व संबंधी कागजात की मांग की जाएगी यदि रैयत द्वारा दोनो राजस्व ग्रामों से संबंधित कागजात प्रस्तुत किये जाते है तो सीमा रेखा का निर्धारण जमीन पर रैयत के कागज के अनुसार मापी कर मानचित्र में सीमा–रेखा को लाल स्याही से अद्यतन कर दिया जाएगा। यदि रैयत विलय किए गए दोनो खेसरों का कागजात एक ही संबंधित राजस्व ग्राम से प्रस्तुत करता है तो जमीनी वर्तमान स्थिति (हकीकत) मानचित्र में सीमा–रेखा निर्धारित की जाएगी।

प्रश्न 44– ग्राम–सीमा पर नदी का प्रसार हो जाना या पूर्व की नदी का स्थान परिवर्तन किया जाना?

उत्तर– यदि किसी ग्राम की सीमा पर पूर्व की स्थिति के विपरित नदी का प्रवाह पाया जाता है तो कैडेस्ट्रल मानचित्र के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या खत्म करने के लिए स्थल से सम्बद्ध जलमग्न किसी एक राजस्व ग्राम की सीमा को यथावत रखा जाएगा तथा आसन्न जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा को यथावत रखा जाएगा तथा आसन्न जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा से जहाँ भी गैप ओवरलैप उसे '**f**' लगाकर यूनिक (अद्वितीय) ग्राम–सीमा तैयार कर ली जाएगी।

इसके विपरित यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा–रेखा पर पूर्व की स्थिति के विपरित नदी का स्थान परिवर्तन हो जाता है और स्थान परिवर्तन के उपरांत नदी के प्रभाव के पूर्व क्षेत्र पर रैयतों द्वारा अलग–अलग खेतों का निर्माण कर लिया जाता है तो उस स्थिति में नदी के स्थान परिवर्तन क्षेत्र में नए बने खेतों के मेड़ में जो मेड़ सीमा–रेखा पर स्थित होगा उसे ही ग्राम–सीमा मान लिया जाएगा। नवनिर्मित खेतों के खेसराओं का नम्बरिंग किस्तवार के आरंभिक चरणों में की जाएगी और स्वामित्व के अनुसार सम्बन्धित खेतों को मिलाकर यथायोग्य खेसरा या खेसरों को निर्मित किया जाएगा यदि समस्त भूमि सरकारी है तो उक्त खेसरा का एक संख्या दिया जाएगा।

प्रश्न 45– ग्राम–सीमा पर सड़क नहर इत्यादि भौतिक संरचनाओं के स्वरूप में अंतर आने की स्थिति में?

उत्तर– यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा पर सड़क है तथा दोनों राजस्व ग्राम मौजों के बीच में स्थापित है तो पूर्व के मानचित्र की तरह सड़कों के दोनों के तरफ से मौजों में प्रदर्शित किया जाएगा तथा सीमा–रेखा को जो सड़क के मध्य से जाएगी उसे डॉटेड लाईन से दिखाया जाएगा।

यदि पूर्व में सड़क का चौड़ीकरण भू–अर्जन, सतत् लीज या भूमि हस्तांरण के माध्यम से किया गया हो तथा अर्जित भूमि पर पूर्व के रैयतों का दखल हो तो उक्त स्थिति में भी/अर्जित/स्थानान्तरित भूमि पर सड़क प्रदर्शित किया जाएगा। कैडेस्ट्रल मानचित्र में कोई सड़क अगर वर्तमान में अतिक्रमित है तो उसे पूर्व के सड़क के अनुरूप खेसरे के रूप में उपदर्शित किया जाएगा।

प्रश्न 46– आबादी क्षेत्र में सीमा का सीमांकन कैसे किया जाएगा?

उत्तर– यदि किसी राजस्व ग्राम की सीमा पर आबादी क्षेत्र हो एवं सीमा–रेखा पता नहीं चल रहा तो उक्त स्थिति में रैयतों के दखल के आधार के साक्ष्यों के अनुसार सीमा–रेखा का निर्धारण किया जाएगा।

प्रश्न 47– हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त एरियल मानचित्र का सरजमीन से सत्यापन करने पर परिवर्तन पाए जाने पर।

उत्तर– हवाई सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त एरियल मानचित्र के पश्चात् सरजमीन पर यदि बहुत सारे परिवर्तन जो भूमि के अंतरण या अन्य कारणों से सरजमीन पर परिलक्षित हो उन परिवर्तनों को भी अमीन द्वारा मानचित्र पर दर्शाया जाएगा।

प्रश्न 48– आसन्न राजस्व ग्रामों के पूर्ण या आंशिक जलमग्न होने की स्थिति में सीमा के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या को किस प्रकार ठीक किया जाएगा?

उत्तर– आसन्न राजस्व ग्रामों के पूर्ण या आंशिक जलमग्न होने की स्थिति में सीमा के मध्य गैप ओवरलैप की समस्या खत्म करने के लिए स्थल से सम्बद्ध आंशिक जलमग्न किसी एक राजस्व ग्राम सीमा को यथावत रखा जाएगा तथा आसन्न जलमग्न राजस्व ग्राम की सीमा से जहाँ भी गैप ओवरलैप हो उसे **'f'** लगाकर यूनिक (अद्वितीय) ग्राम–सीमा तैयार कर ली जाएगी।

प्रश्न 49– गंग शिकस्त, गंग बरार, दो या अधिक नदियों का संगम आदि के कारण किसी मौजा के सीमा के परिवर्तन हो, तो क्या करना चाहिए?

उत्तर– गंग शिकस्त, गंग बरार, दो या अधिक नदियों का संगम आदि के कारण किसी मौजा के सीमा के परिवर्तन हो सकता है ऐसे मामले को अमीन, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/ उच्च अधिकारी को सूचित करेंगे, स्वयं निर्णय नही लेगें। समान्यतः जो भाग नदि में विलय में हो उसे डॉट लाईन से दर्शाया जाता है

प्रश्न 50– विशेष सर्वेक्षण मानचित्र का सर्वप्रथम कैसे मिलान करेगें?

उत्तर– ऑर्थोफोटो ग्राफ पर किसी दो स्थायी फीचर की दूरी 1 कि0मी0 से अधिक तथा जमीन पर ठीक उसी फीचर के बीच ई.टी.एस से मापी की गई दूरी का अंतर किसी भी स्थिति मे आबादी और बस्ती में 10 सं0 भी और खुले क्षेत्रों में 20 सं0 भी अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रेक्षण को विभिन्न दिशाओं मे दोहरा लिया जाना चाहिए।

दूसरी पद्धति के रूप में किसी भी नियत बिन्दु का ऑर्थोफोटो पर का निर्देशांक (x,y) तथा उसी बिन्दु का जमीन पर DGPS द्वारा ऑब्जर्वेशन किए गए (x,y) का अंतर आबादी/ बस्ती में 10 से0 मी0 तथा बाहर के खुले क्षेत्रों मे 20 से0मी0 से अधिक नही होना चाहिए।

प्रश्न 51– हवाई एजेन्सी से मानचित्र प्राप्त होने पर सर्वप्रथम बन्दोबस्त कार्यालय/सर्वेक्षण दल का क्या उत्तरदायित्व होगा?

उत्तर– बन्दोबस्त कार्यालय एवं सर्वेक्षण दल का निम्न दायित्व होगा।

1 राजस्व ग्राम मानचित्र मिलने के बाद स्थल पर किस्तवार के अन्तर्गत तकनीकी ब्योरा, शीर्षक कोई अन्य प्रासंगिक ब्योरा आदि का अंकन का सत्यापन किया जाएगा।

2 किस्तवार प्रारंभ करने के पूर्व राजस्व ग्राम के मानचित्र पर लम्बी दूरी वाले दो बिन्दु के बीच उपरोक्त के आलोक में जमीनी दूरी एवं मानचित्र का तुलना कर लें।

3 इस प्रेक्षण को विभिन्न दिशाओं में दोहरा लिया जाना चाहिए यथा (दो कर्णात्मक दिशाओं में)

4 हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी इस कार्य हेतु शिविर प्रभारी को ETS/DGPS/सपोर्ट स्टाफ उपलब्ध करायेगें।

प्रश्न 52– चादरों की मार्जिन लाईन के अनुवर्ती कोई खेसरा खंडित होने पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

उत्तर– चादरों के विभाजन में इस बात का ध्यान रखा जाए कि चादर की मार्जिन लाईन की अनुवर्ती कोई खेसरा खंडित नही हो रहा हो। खंडित होने वाले खेसरों का अधिकांश अंश जिस चादर में पर रहा हो उसे उसी चादर में प्रदर्शित किया जाए। खेसरो को उसकी पूर्णता में किसी एक चादर में ही प्रदर्शित किया जाएगा अर्थात नियत खेसरा Closed Polygon के रूप में किसी एक चादर में केवल एक बार ही प्रदर्शित होगा।

प्रश्न 53– फसल लगाने एवं काटने के समय रैयतों का सहयोग न मिलने के कारण निर्धारित समय के अन्दर खानापुरी कार्य समपन्न नहीं हो पाना?

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 के नियम 4 उपनियम 2 के अनुसार "बन्दोबस्त पदाधिकारी की अधिकारिता में कार्यरत कोई अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को विशेष सर्वेक्षण बन्दोबस्त के अधीन भूमि में प्रवेश करने/जाँच करने तथा वैसी भूमि का किसी पद्धति जैसा वह उचित समझे, द्वारा मापी करने की शक्ति होगी तथा सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ किसी पेड़, जंगल, खड़ी फसल अथवा अन्य बाधा को काटकर अथवा हटाकर, **जैसा आवश्यक हो भूमि को साफ करने की शक्ति होगी"** वर्णित है इसके अनुसार कारवाई की जाएगी।

प्रश्न 54– पुराने एवं नए मानचित्र के रकबा में अंतर आने पर क्या जाए?

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल तथा कैडेस्ट्रल/रिविजनल के आधार पर राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल में 5% से कम हो।

प्रश्न 55– मानचित्र में किसी खेसरा का रकबा खतियान विवरणी के रकबा में अंतर आता है तब क्या करना है?

उत्तर– मानचित्र के खेसरा का रकबा मान्य होगा।

प्रश्न 56–सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक भूमि को संबंधित एजेंसी द्वारा चिह्नित कर Working Sheet देना चाहिए।

उत्तर– सरकारी भूमि एवं सार्वजनिक भूमि की सूची संबंधित ग्राम के अमीन के पास रहता है।

प्रश्न 57– ग्राम में स्थायी संरचानाओं को मुस्तकिल के रूप में निर्धारित कर उनका कोर्डिनेट रक्षित किया जाना चाहिए।

उत्तर– मुस्तकिल को TCP के रूप में रक्षित किया जाना है जिसके लिए 45 मिनट का ऑब्जर्वेशन लिया जाना है और रक्षित किया जाना है।

प्रश्न 58– मानचित्र का सत्यापन एवं ग्राम सीमा का निर्धारण

उत्तर– 1. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली के नियम 7 के उपनियम (1) से (5) तक अनुपालन किया जाना हैं।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 725, दिनांक 26.04.2015 का अनुपालन किया जाए।

प्रश्न 59 अगर किसी राजस्व ग्राम का Boundary वर्तमान समय में प्राकृतिक कारणों से परिवर्तित हो गया है तो वैसी स्थिति में सर्वेक्षण अर्थात् किस्तवार के दौरान क्या किया जाय। जैसे वर्तमान अवस्था के अनुसार Boundary का निर्धारण किया जाय या CS/RS मैप के

आधार पर वर्तमान समय में Boundary किया जाय। अगर वर्तमान समय के अनुसार Boundary का निर्धारण किया जाता है तो इसकी प्रक्रिया क्या होना चाहिए।

उत्तर– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक सं. 725, दिनांक 02.04.2018 का अनुपालन करें।

प्रश्न 60– क्या किस्तवार के समय वर्किंग सीट में CS खेसरा को हल्के और टूटे खत में दिखाया जा सकता है ?

उत्तर– हाँ, बिल्कुल दिखाया जा सकता है।

प्रश्न 61– कम्पनी के नक्शा के साथ एरिया स्टेटमेंट कब मिलना चाहिए ?

उत्तर– हवाई एजेंसी द्वारा खानापुरी के पहले हवाई सर्वेक्षण नक्शा एवं तुलनात्मक एरिया स्टेटमेंट बन्दोबस्त कार्यालय को देना है।

प्रश्न 62– खगड़िया जिला के 40 ग्रामों की सीमा–त्रुटि के कारण कार्य बाधित है इसके लिए समाधान बताएं।

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012, संशोधित नियमावली, 2019 के नियम 7 के उपनियम (1) के अनुसार हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दिए गए मानचित्र का स्थल सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

प्रश्न 63– ग्रामों में त्रि–सीमानों पर लगाये गये मोन्यूमेंटेशन को स्थानीय लोग तोड़ देते हैं या बर्बाद कर देते हैं वैसी स्थिति में क्या कार्रवाई की जाये।

उत्तर– ग्राम में त्रि–सीमानों पर लगाये गये पीलर का निर्देशांक बिन्दु D.G.P.S से रिडिंग लेकर सॉफ्ट कॉपी में संरक्षित किया जाना है। संरक्षण करने में इस बात ध्यान रखा जाता है कि पीलर पर दर्शाए गए कोड, संबंधित ग्राम का थाना नं0 इत्यादि का वर्णन स्पष्ट हो।

<u>विशेष सर्वेक्षण कार्य में खानापुरी प्रक्रम के संबंध में प्रश्न एवं उत्तर</u>

प्रश्न 1– खानापुरी किसे कहते है?

उत्तर– किस्तवार में तैयार नक्शे में सिलसिलेवार नम्बर देने तथा खेसरा के खानों की पूर्ति करने को खानापुरी कहा जाता है।

प्रश्न 2– खाता क्या है?

उत्तर– रैयत/अभिधारी द्वारा धारित सभी अलग–अलग खेसरों को मिलाकर एक खाता होता है।

प्रश्न 3– जोत की परिभाषा क्या है?

उत्तर– बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 3 की उपधारा (7) में होल्डिंग या जोत की परिभाषा निम्नरूपेण अभिव्यक्त है " जोत से अभिप्रेत है रैयत द्वारा धारिता वैसा भू– खण्ड जो एक पृथक काश्तकारी का विषय हो या विषय हों। उक्त परिभाषा के आलोक में कहा जा सकता है कि ऐसा भू–खण्ड जिसका अलग से भू–लगान निर्धारित है और एक ही भू–धृति के अधिन हो, रैयत का जोत की भूमि है।

प्रश्न 4– सर्वेक्षण क्रियान्वयन का प्राथमिक इकाई क्या है?

उत्तर– सर्वेक्षण क्रियान्वयन का प्राथमिक इकाई राजस्व ग्राम है।

प्रश्न 5– अमीन द्वारा किसी राजस्व ग्राम में किस्तवार एवं खानापुरी का कार्य किस दिशा से शुरू किया जाएगा?

उत्तर– ग्राम के उत्तर–पश्चिम दिशा से एजेंसी से प्राप्त मानचित्र एवं स्थलों का सत्यापन किया जाना है। तथा आवश्यक होन पर ETS मशीन से सत्यापन किया जाएगा।

खेसरा सत्यावन रैयत/भू–मालिक की उपस्थिति में करना तथा क्रम 1 से आगे का क्रम बढ़ातें हुए खेसरा का बढ़ते क्रम में अंकन करना तथा यह ध्यान में रखना कि कोई भी खेसरा बिना अंकन के छूटे नहीं।

प्रश्न 6– खानापुरी के क्रम में क्या–क्या कार्य करना है?

उत्तर– 1 याददास्त पंजी का संधारण किया जाना

2 भू–मानचित्र के साथ प्राप्त कागजातों, तुलनात्मक खतियानी विवरणी, सत्यापि वंशावली एवं स्वघोषणा पत्र के आधार पर उत्तर–पश्चिम दिशा से खेसरा मिलान करते हुए खेसरा पंजी (प्रपत्र 6) का संधारण करना।

3 स्थलीय/भौतिक सत्यापन के आधार पर प्रपत्र 7 में खानापुरी पर्चा तैयार करना तथा L.P.M हवाई सर्वेक्षण एजेंसी से प्राप्त कर उसे सम्बन्धित रैयत/भू–मालिक, सम्बन्धित सरकारी विभाग, निकाय को हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के माध्यम से हस्तगत कराने/तामील कराने की कार्रवाई करना।

4 खानापुरी पर्चा के प्रविष्टयों के विरूद्ध प्राप्त दावा/ आक्षेपों की सुनवाई के उपरांत किए गए निर्णयों को निगमित करते हुए प्रपत्र 12 में खानापुरी अधिकार अभिलेख तैयार कर मानचित्र के साथ सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित किया जाना तथा विहित स्थानों पर प्रकाशित किया जाना है।

प्रश्न 7– विशेष सर्वेक्षण के दौरान तैयार किए जाने वाले प्रकार के पंजियों एवं मुक्त प्रपत्रों का संधारण किया जाता है?

उत्तर– 1. खतियान (रिविजनल/कैडस्ट्रल) के आधार पर प्रपत्र 5 में खतियान की विवरणी

2. स्वघोषणा को प्रविष्ट करने से सम्बन्धित पंजी प्रपत्र 2 का

3. याददास्त पंजी प्रपत्र 3(2)

4 वंशावली प्रपत्र 3(1)

5 गैर सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी प्रपत्र 4

6 खेसरा पंजी प्रपत्र (6)

7 दावा आक्षेप पंजी प्रपत्र 10

8 प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र 12

9 अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों की पंजी प्रपत्र 15

10 नया अधिकार अभिलेख प्रपत्र 18

11 लगान दर तालिक प्रपत्र 18क

12 नए खेसरा पंजी का प्रपत्र 19

13 अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र 20

प्रश्न 8– विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में मकान और परती (सहन) एक ही स्वामित्व की भूमि दो अलग खेत में प्रदर्शित हो रहा है?

उत्तर– एरियल सर्वे मानचित्र में मकान और परती भूमि अलग–अलग खेत के रूप में परिलक्षित हो रहे है तों एक ही व्यक्ति का स्वामित्व का हो तो इस स्थिति में नए मानचित्र में मकान समेत खेसरा को एक ही खेसरा माना जाएगा। यदि मकान और परती भूमि के स्वामित्व में अंतर पाया जाता है तो अलग–अलग खेसरा का निर्माण किया जाना है तो तदनुसार हवाई सर्वेक्षण एजेन्सि अग्रतर कारवाई के लिए प्रतिवेदित किया जाएगा।

प्रश्न 9– खेसरों का नम्बरिंग की प्रक्रिया?

उत्तर– खेसरों की नम्बरिंग एक साथ लगे हुए खेतों को सम्मिलित कर एक खेसरा बनाना। राजस्व ग्राम मानचित्र (विशेष सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर) एवं ग्राम–सीमा के सत्यापन के पश्चात् किस्तवार प्रकरण की अगली प्रक्रिया सभी खेसरों की क्रमवार (उ.प. से द.पू. की ओर) नम्बरिंग (अमीन द्वारा किया जाना है) है। भू–खण्डों का Working Sheet में अंकन का कार्य खानापुरी प्रांरभ करने के पूर्व किया जाना है ताकि क्षेत्रफल का सही मूल्यांकन किया जा सके। विशेष ही सर्वेक्षण अमीन कृषि क्षेत्रों तथा आबादी/बस्ती क्षेत्रों की नम्बरिंग लगातार करेंगे। इसके साथ ही यदि विशेष सर्वेक्षण अमीन किसी खेसरा को विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में विभाजित करता है तो अपने फिल्ड बुक में कटान किये गये खेसरों की दूरी (Dimension) को अवश्य ही नोट कर लेंगे ताकि कम्प्यूटर पर नया प्लॉट तैयार किया जा सकें। अमीन द्वारा एक रैयत के खेत/पार्सल जो नक्शें में क्रमिक रूप से अवस्थित हों तो उन्हें एक ही खेसरा बनाया जाएगा।

प्रश्न 10– ग्रामीण क्षेत्र के आबादी वाले भाग का विशेष सर्वेक्षण मानचित्र में अलग–अलग प्रदर्शित नही होने पर?

उत्तर– प्रायः ग्रामीण क्षेत्र के आबादी वाले भाग में दो रैयतों के आवासीय क्षेत्र की भूमि आपस में मिली होने के कारण मानचित्र में अलग–अलग खेसरा नही बन पाता है अथ्वा त्रुटिपूर्ण बनता है जिस कारण खेसरा पर स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में रैयत के स्वामित्व सम्बन्धि कागजात के आधार पर मानचित्र में खेसरों का निर्माण अलग–अलग किया जाना ज्यादा व्यवाहाकिर होगा।

प्रश्न 11– खानापुरी प्रारंभ करने के पूर्व का चेककलिस्ट?

उत्तर– (1) ग्राम में उपलब्ध सभी त्रि–सीमानों को तीनों ग्रामों के मुस्तकिल से मिलाकर मानचित्र पर अंकित कर लिया गया हो एवं मानचित्र पर दर्शाया गया हो।

(2) ग्राम–सीमा को सत्यापित और नियत (uniquely fix) कर लिया गया है और आसन्न ग्रामों के साथ गैप–ओवरलैप की समस्या का निराकरण कर लिया गया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में भविष्य के लिए और वितरित किए जाने वाले ग्राम मानचित्र एवं Land Parcel Map (LPM) में रकबा सम्बन्धी किसी परिवर्तन की संभावना नहीं बची है।

(3) राजस्व ग्राम मानचित्र पर किसी नियत बिन्दु का निर्देशांक (Co-ordinate) एवं उसी बिन्दु का जमीन पर डी.जी.पी.एस. से मापे गए निर्देशांक में 20 से.मी. से ज्यादा का अंतर नहीं है।

(4) राजस्व ग्राम मानचित्र पर एक कि.मी. से अधिक की दूरी पर पहचाने गए दो स्थायी फीचर की दूरी एवं उसी स्थायी फीचर के बीच जमीन पर ई.टी.एस. से नापी गई दूरी का अंतर आबादी वाले क्षेत्रों में (1:1000 स्केल के लिए) 10 से.मी. तथा ग्राम के अन्य क्षेत्रों में (1: 4000 स्केल के लिए) 20 सेमी से अधिक नहीं है।

(5) सर्वेक्षण दल द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार करते वक्त स्थल पर खेसरावार उपलब्ध सभी स्थायी चिन्हों/अलामतों/फीचरों को अंकित कर लिया गया है।

(6) एजेंसी द्वारा तैयार किए जाने वाले Land Parcel map (LPM) में खेसरों के चिन्हों/अलामतों/फीचरों को दर्शाया गया है अथवा नहीं।

(7) सभी मानचित्रों को 1:4000 के नए स्केल पर दर्शाया गया है न कि 1:3960 के पुराने स्केल पर

(8) एजेंसी द्वारा तैयार किए गए मानचित्र के शीर्षक में वर्णित सूचनाओं (यथा जिला का नाम, अंचल का नाम, ग्राम का नाम एवं थाना संख्या आदि) वर्तमान संदर्भ में अध्ययन कर लिया गया है अथ्वा नहीं

प्रश्न 12– खतियानी रैयत का वंशज ग्राम में नहीं रहने के कारण वंशावली नहीं बन पाता है, मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर– वंशावली/कुर्सीनामा या राजस्व ग्राम में जाकर तैयार किया जाएगा तथा स्थानीय, जन प्रतिनिधियों यथा–मुखिया/पंचायत समिति सदस्य/वार्ड सदस्य/सरपंच/स्थानीय चौकीदार/दफादार से सहयोग प्राप्त कर तैयार किया जाएगा।

प्रश्न 13– अमीन द्वारा खानापुरी करने के क्रम में रैयतों द्वारा बताया जाता है कि दस्तावेज बैंक में बंधक रूप में है और खानापुरी में उक्त खाता बिहार सरकार बन जाता है दखलकाल में रैयत का नाम दर्ज होता है?

उत्तर– रैयतों को सुझाव दिया जाए कि निबंधन कार्यालय से अभिप्रमाणित प्रति प्राप्तकर बाद के प्रक्रम में कानूनगो/सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा और संबंधित खेसरा के, स्वामित्व की प्रविष्टि की कार्रवाई की जाती है।

प्रश्न 14– मौखिक बदलैन के आधार पर खाता खोलने का अनुरोध किया जाता है परन्तु रैयत द्वारा बदलैन का कोई प्रमाण नही दिया जाता है?

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली 2012 के नियम 9 उपनियम 3 (ख) के अनुसार रैयती जोतों के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण किया जाएगा।

प्रश्न 15– राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित लगान तालिका क्या है?

उत्तर – लगान दर तालिका निम्नरूपेण वार्षिक आधार पर तैयार किया जाना है।

(क) वासगीत की भूमि– 1.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(ख) कृषि योग्य भूमि– 0.75 रूपये प्रति डीसमिल।

(ग) भीठ भूमि– 0.60 रूपये प्रति डीसमिल।

(घ) चौर, दियारा, पथरीली एवं बलुआही भूमि– 0.50 रूपये प्रति डीसमिल।

(ङ) विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि– 1 रूपये प्रति एकड़।

(च) शहरी क्षेत्र की भूमि– 5.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(छ) व्यावसायिक भूमि– बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में।

यदि व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित भूमि को भविष्य में व्यावसायिक प्रयोजन में नहीं लाया जाता है अथवा व्यावसायिक प्रयोजन से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसके वास्तविक उपयोग के आधार में लगान निर्धारित होगा।

प्रश्न 16– अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए लगान का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा?

उत्तर– अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित लगान दर–तालिका के आधार पर सम्बन्धित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए उसके धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बन्दोबस्त लगान तालिका प्रपत्र 18 (क) में तैयार करेंगे।

प्रश्न 17– 1. गैरमजरूआ आम/खास में अगर किसी रैयत के वंशज मकान बनाकर रह रहा है तो वैसी स्थिति में क्या किया जाए?

2. उक्त रैयतों के पास लगान रसीद के अलावा कोई अभिलेख नहीं है।

3. गैरमजरूआ मालिक भूमि पर अवैध दखल किया जा सकता है या नही।

उत्तर– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 241, दिनांक 07.02.2018 द्वारा खानापुरी सम्बन्धित कार्यों में विभागीय दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त तकनीकी निर्देशिका में दिए गए निदेश का अनुपालन करें।

प्रश्न 18– न्यायालय में लंबित मामलों से सम्बन्धित जमीन का खाता खोला जा सकता है अथवा नहीं जब जमीन पर किसी का दखल स्पष्ट न हो।

उत्तर– 1. सरकारी भूमि के मामले में अभियुक्ति कॉलम में विवादित लिखा जाए।

2. रैयती भूमि के मामले में अभियुक्ति कॉलम में विवादित लिखा जाए एवं दखलकार का दखल दर्ज करने के साथ न्यायालय में दर्ज केस संख्या वर्ष का अंकन किया जाए।

3. सक्षम न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाय।

प्रश्न 19– अगर कोई रैयत आपसी भूमि का बदलैन, अविरिक्त संव्यवहार में किया गया हो और वर्षों से संगतिपूर्ण दखलकार हो तो क्या इनके नाम पर खाता दर्ज करने हेतु कार्रवाई आपत्ति के आलोक में की जा सकती है। निबंधित दस्तावेज के आधार पर।

उत्तर– बिना निबंधन के बदलैन भूमि मान्य नहीं है। अगर निनिमय दस्तावेज निबंधित है तथा अंचल अधिकारी द्वारा उसके दाखिल खारिज की स्वीकृत दी गई है मालगुजारी रसीद निर्गत किया जा रहा है तो उसके आधार पर खाता दर्ज किया जाएगा।

प्रश्न 20– जिन राजस्व ग्रामों का खतियान उपलब्ध नहीं है वैसे ग्रामों में सर्वेक्षण हेतु आधार अभिलेख किसे माना जाए।

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण की नियमावली के नियम 6 का उपनियम (1),(2),(3) एवं (5) का अनुपालन करेंगे तथा अंचल से रजिस्टर–।। का नकल (कम्प्यूटरीकृत प्रति) प्राप्त कर क्षेत्रीय भ्रमण के आधार पर सत्यापित करते हुए अभिलेख तैयार करेंगे।

प्रश्न 21– भू–दान की भूमि पर पर्चाधारी का कब्जा न होकर खाताधारी या किसी अन्य का कब्जा हो तो खाता किसके नाम खोला जाए।

उत्तर– भू–दान यज्ञ कमिटि के नाम यह खाता खोला जा सकता है एवं दखलकार के नाम अवैध दखल दर्ज किया जाएगा।

प्रश्न 22– अगर किसी रैयत के पा 05 डी. का कागजात है, लेकिन कब्जा 10 डी. पर है एवं किसी रैयत द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति दाखिल नहीं किया जाता है तो उक्त 10 डी. जमीन का खाता सम्बन्धित रैयत के नाम खोला जा सकता है।

उत्तर– पहले सरजमीन की जाँच चौहद्दी के आधार पर करेंगे। प्लॉट 10 डी. का बना हुआ हो तो प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आलोक में अमीन से नापी प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे। जिसमें चौहद्दी की विवरणी स्पष्ट रूप से रहनी चाहिए। शेष बचे 05 डी. जमीन पर अगर सरजमीन पर है तो अलग प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की माँग करेंगे। अगर रैयत द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो खाता बिहार सरकार के नाम प्रविष्टि करेंगे।

प्रश्न 23– यदि किसी रैयत खाता में सिकमी दखलकार है तथा उसे बटाईदार धोषित किए जाने के सम्बन्ध में कोई कागजात नहीं है तो खाता किसके नाम जाएगा।

उत्तर– बिहार काश्तकारी अधिनियम के आलोक में सर्वप्रथम दखल की जाँच कर राजस्व प्रमाण की माँग करेंगे। प्रमाण अगर प्रस्तुत नहीं करता है तो खातेदार रैयत के नाम खोला जायेगा तथा अभ्युक्ति कालम में शिकमी।

प्रश्न 24– वर्तमान नदी का स्वरूप (रैयती भूमि पर) तथा पूर्व में नदी जो वर्तमान में परती या जोत/आबाद में है तो खाात किसके नाम खोला जायेगा।

उत्तर– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना सं. 6/खा.म. अरवल–02/2011/788, दिनांक 18.06.2013 का अनुपालन करते हुए निष्पादन किया जाय।

प्रश्न 25– भूमि के वर्गीकरण से सम्बन्धित बिन्दु पर विस्तृत निदेश की आवश्यकता है।

उत्तर– वर्तमान में जो भूमि का स्वरूप है उसकी किस्म दर्ज की जायेगी।

प्रश्न 26– वर्तमान परिस्थिति में अंचल के किस–किस अभिलेख का उपयोग सर्वेक्षण के दौरान Reference Document के रूप में किया जाय।

उत्तर– रजिस्टर–2 की छायाप्रति, सरकारी भूमि की सूची, बन्दोबस्ती पंजी, वासगीत पर्चा एवं चालू खतियान की छायाप्रति, जमाबंदी पंजी की कम्प्यूटराईज्ड प्रति अंचल से प्राप्त कर Reference Document के रूप में उपयोग किया जाय।

प्रश्न 27– सिकमी रैयत एवं बटाईदार रैयत का दखल कब्जा हो तो वैसी स्थिति में सर्वेक्षण क्रम में प्रविष्टि की प्रक्रिया क्या होगी विस्तृत दिशा निदेश की आवश्यकता है।

उत्तर– डी.सी.एल.आर. के आदेश के अनुसार बटाईदार घोषित होने के प्रमाण हो तो उक्त अभिलेखों के जाँचोपरांत खाता की प्रविष्टि की जायेगी।

प्रश्न 28– सर्वेक्षण के दौरान, असर्वेक्षित भूमि का सर्वे एक महत्वपूर्ण समस्या है, अतः असर्वेक्षित भूमि के सर्वेक्षण की विस्तृत प्रक्रिया की दिशा निदेश की आवश्यकता है।

उत्तर– उस सम्बन्ध में दिशा निदेश अलग से दिये जा रहे हैं।

प्रश्न 29–गैरमजरूआ खास भूमिका कोई केबाला दिखाता है लेकिन रिटर्न और हुकुमनामा नहीं दिखाता है तो क्या करें? लगान रसीद नहीं है।

उत्तर– किस नाम से जमीन होगी, रिटर्न में रैयत का नाम है और हुकुमनामा 01.01.1946 का पूर्व का है सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है तब रैयती खाता खोला जाएगा अन्यथा खाता नहीं खोला जाएगा।

प्रश्न 30– क्या प्रपत्र 12 में साविक खेसरा के भी ईंद्राज किया जा सकता है ताकि आपत्ति के समय किसानों को रेफर करने में आसानी हो?

उत्तर– प्रपत्र–12 प्रारूप खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रपत्र है जिसे खानापुरी कार्य पूरा होने के बाद तैयार किया जाता है इसमें कैडस्ट्रल खेसरा के प्रविष्टि का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न 31–अमीन द्वारा बिना तेरीज के भी खाता खोल दिया जा रहा है, क्या करें?

उत्तर– तेरीज से मिलान करने के साथ–साथ वंशावली का निर्माण करना चाहिए। तेरीज के अभाव में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/कानूनगो शत–प्रतिशत शिविर या सम्बन्धित ग्राम में जाकर स्वयं वंशावली को जाँच कर लेंगे।

प्रश्न 32–अमीन अपना कार्य स्वतंत्र सहायक रख कर करवाते हैं तथा रैयतो द्वारा जमा कागजात पर कोई रिसीविंग नहीं देते हैं, क्या करें?

उत्तर–सर्वे एवं बन्दोबस्त कार्यों में अमीन स्वयं कार्य करेंगे एवं रैयतों द्वारा दिये गये प्रमाण को अमीन हस्ताक्षर कर प्राप्ति रसीद देंगे। शिविर में प्रतिनियुक्ति मोहर्रिर/लिपिक कागजात लेकर प्राप्ति रसीद देंगे।

प्रश्न 33–किसी गैर–मजरूआ आम जमीन पर आवासीय भवन अथवा संरचना पाया जाता है। कैडेस्ट्रल/रिविजनल में अवैध दखल अंकित है क्या खाता खोला जायेगा?

उत्तर– अभिधारी कॉलम में गैर–मजरूआ आम दर्ज किया जाएगा और अभियुक्ति कॉलम में अवैध दखल किया जायेगा।

प्रश्न 34– किसी गैर–मजरूआ खास जमीन पर आवासीय भवन अथवा संरचना पाया जाता है और अभ्युक्ति कॉलम में दखलकर्त्ता का नाम है, दखलकर्त्ता के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज होगा की नहीं?

उत्तर– कैडेस्ट्रल/रिविजनल गैर–मजरूआ खास के खाते की भूमि है और किस्म भूमि में मकान है दखल दर्ज है तब कॉलम (अभिधारी) में गैर मजरूआ खास दखलकर्त्ता के उत्तराधिकारी का नाम दर्ज किया जाए।

प्रश्न 35– सरकारी भूमि पर अवैध दखल है तब क्या खानापुरी के क्रम में क्या दर्ज किया जाए?

उत्तर– खानापुरी के क्रम में किसी भी कॉलम में किसी प्रकार की ईन्द्राज नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 36– खानापुरी के दौरान पारित याददास्त आदेश के उपरांत प्रपत्र–7 एवं एल.पी.एम. के पश्चात् प्रपत्र–8 में आपत्ति है, तब क्या कानूनगो सुनवाई करेगा।

उत्तर– प्रपत्र–8 में आपत्ति प्राप्त होती है, तब सुनवाई के लिए अभिलेख खोलकर सम्बन्धित आपत्तिकर्त्ता को सुझाव देगा कि प्रपत्र–12 के प्रकाशन के उपरांत प्रपत्र–13 में आपत्ति देंगे।

प्रश्न 37– गैर–मजरूआ खास भूमि रिविजनल खतियान में रैयती बना दिया गया एवं दखल में है लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे में गैर–मजरूआ मालिक है। ऐसी स्थिति में वर्तमान सर्वेक्षण के दौरान क्या किया जाए।

उत्तर– विशेष सर्वेक्षण अधिनियम के तहत रैयत के नाम खात खोला जाएगा।

प्रश्न 38– रैयती भूमि नदी में गंग शिकस्त हो गया और रैयत के पूर्वज का सर्वे खतियान में है और रसीद भी कटती है, वैसी स्थिति में खानापुरी के क्रम में क्या जाए।

उत्तर–1. नदी का एक ही नम्बर दोनों छोर के बीच में दिया जाएगा और दोनों छोर नक्शे में दिखाए जाएंगे।

2. नदी में सन्निहित रैयती भूमि को टूटे खत से दिखलाया जायेगा उसमें नदी के मौलिक खेसरा के नीचे नक्शे के अंतिम नम्बर के बाद का नम्बर बट्टा करके अलग–अलग नहीं लिखकर नक्शे के हाशिए में लिखा जाएगा जैसे यदि नदी का नम्बर 2 हो तो 2/625 से 2/675

3. उपरोक्त बट्टा नम्बरों को सम्बन्धित रैयती खाते में रकबा और लगान दर्ज किया जाएगा चूँकि भूमि जलमग्न अवस्था में है।

4. चूँकि भूमि परिवहनीय नदी राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है एवं उसमें सर्वसाधारण का अधिकार निहित होता है इसलिए खाता बिहार सरकार के नाम से दर्ज होकर नदी का पूर्ण रकबा इसी खाता में दर्ज होगा। (संचिका सं.–17–1 (तक) कोषांग 23/95–1977 दिनांक 04.04.1996)

प्रश्न 39– साविक नदी का वर्तमान में स्वरूप बदल गया है तो क्या मौका अनुसार Land Parcel बनेगा या नहीं।

उत्तर– साविक नदी का वर्तमान में स्वरूप बदल गया है तो Land Parcel बनेगा

प्रश्न 40– खास कर वैसे सरकारी भूमि जिस पर रैयतों द्वारा मकान या कोई संरचना का निर्माण कर लिया गया है वैसी स्थिति में सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) में प्रविष्टि कैसे किया जायेगा।

उत्तर– सरकारी भूमि पर मकान या कोई संरचना का निर्माण कर लिया गया है तो सर्वेक्षण के क्रम में खाता नहीं खोला जाएगा, अतिक्रमण दर्ज किया जाएगा।

प्रश्न 41– वैसे राजस्व ग्रामों के सर्वेक्षण का आधार क्या होगा जिस राजस्व ग्राम का CS/RS खतियान सम्बन्धित जिला या अन्यत्र उपलब्ध नहीं है एवं सम्बन्धित अंचल में चालु खतियान या जमाबंदी पंजी सही तरीके से संधारित नहीं है।

उत्तर– अंचल से प्राप्त सम्बन्धित राजस्व ग्राम की कम्प्यूटराईज्ड जमाबंदी पंजी, विधिवाद पंजी (जो सरकारी भूमि, बन्दोबस्त पंजी एवं वासगती पर्चा) से सम्बन्धित है, के आधार पर जाँचा जाएगा और खानापुरी कार्य प्रपत्र–5 एवं प्रपत्र–6 में स्थल पर जाकर प्लॉट दर प्लॉट कार्य करना अत्यन्त आवष्यक होगा।

प्रश्न 42– कैडेस्ट्रल में नदी था, उस जगह पर अभी रैयत दखलकार है तो प्लॉट काटना है या नहीं ?

उत्तर– कैडेस्ट्रल सर्वे में नदी था इसलिए राज्य सरकार की सम्पत्ति है और बिहार सरकार के नाम से दर्ज होकर नदी का पूर्ण रकबा दर्ज होगा।

प्रश्न 43– अगर कोई व्यक्ति द्वारा सद्व्यवहार में भूमि का बदलैन किया हो तो वर्षों से शांतिपूर्ण दखलकार हो तो क्या इनके नाम खाता दर्ज किया जा सकता है अथवा नहीं ?

उत्तर– निबंधित बदलैन की स्थिति में ही खाता दर्ज किया जाएगा अन्यथा दखलकार के नाम अवैध दखल दर्ज किया जाए।

प्रश्न 44– यदि किसी रैयत द्वारा दावाकृत खेसरा की भूमि को पंजीकृत केवाला द्वारा प्राप्त किया गया है लेकिन केवाला तथा दाखिल खारिज से संबंधित कोई आदेश नही दिखाए जाने पर क्या कारवाई करनी है?

उत्तर– रैयत द्वारा प्रमाणिक दस्तावेज नहीं दिखाई जाने पर यह निदेश दिया जाना है कि वे संबंधित अंचल अधिकारी से दाखिल खारिज का आदेश प्राप्त कर आदेश की प्रति, शुद्धिपत्र, मालगुजारी रसीद आदि प्राप्त करें। वाद के प्रक्रम में रैयत द्वारा उल्लेखित कागजात के प्रस्तुतिकरण के बाद संबंधित खेसरा के स्वामित्व की प्रविष्टि की कारवाई करनी है।

प्रश्न 45– यदि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान भूमि के सत्यापन कार्य में रैयत अनुपसथित रहे तो क्या कारवाई करनी है?

उत्तर– भूमि सर्वेक्षण में किस्तवार एवं खानापुरी प्रक्रिया के क्रियान्वयन का प्रचार प्रसार करने के बावजूद रैयत/अभिधारी अनुपस्थित रहें तो अमीन को अपना कार्य बिना रोके करते जाना है तथा संबंधित रैयत के अनुपस्थिति के संबंध में याददास्त में अंकित करना है। बाद में उपस्थित होने पर भूमि/खेसरों की जानकारी प्राप्त कर सत्यापन कर अंकित करना है तथा हस्ताक्षर एवं तारिख अंकित किया जाना है।

प्रश्न 46– रैयत/अभिधारी से प्राप्त वंशावली का सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा?

उत्तर– रैयत/अभिधारी से प्राप्त वंशावली का सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम के ग्राम सभा/पंचायत सेवक/चौकीदार/दफादार आदि से कराने की कारवाई खानापुरी दल के सदस्य अमीन द्वारा प्राप्त किया जाएगा तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

प्रश्न 47– किसी खेसरा की भूमि का स्वामित्व विवादित होने पर तथा उसके रैयत द्वारा स्वामित्व का प्रमाणिक दस्तावेज नहीं दिखाने पर क्या कारवाई होगी?

उत्तर– किसी खेसरा की भूमि का स्वामित्व विवादित होने पर उसके स्वामित्व के बिन्दु पर दावा करने वाले रैयत/भू–स्वामी द्वारा प्रमाणिक दस्तावेज नहीं दिखाने पर याददास्त पंजी के सुसंगत स्तंभ में प्रविष्ट करना है तथा अमीन को कानूनगो/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी से आदेश प्राप्त कर संबंधित खेसरा के स्वामित्व की प्रविष्टी करेगें।

प्रश्न 48– वंशावली से क्या अभिप्रेत है?

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 5 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रपत्र 3 (1) और कानूनगो द्वारा अपने अधिकारिता के अधिन क्षेत्र के रैयतों से प्राप्त उनके वंशानुक्रम के संबंध में उनके मूल खतियानी/जमाबंदी रैयत से उनके संबंध को स्पष्ट करने वाली विहित प्रपत्र में तैयार की गई वंशावली एवं उसमे अंकित दावा आधारित भू–विवरणी से है।

प्रश्न 49– याददास्त पंजी से क्या अभिप्रेत है?

उत्तर– बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 5 की उपधारा 1 के अधिन अमीन और कानूनगों द्वारा अपने अधिकारिता के अधीन प्रपत्र (ii) में रैयतो से प्राप्त उनकी भूमि के संबंध में दिए गए दावों एवं अन्य विवरण को अंकित करने के लिए विहित प्रपत्र में संधारित पंजी ।

प्रश्न 50– खतियानी विवरणी से क्या अभिप्रेत है?

उत्तर– वर्तमान समय में संव्यवहार में प्रचालित अर्थात अद्यतन खतियानी का प्रविष्टियों में दर्ज सूचनाओं को विहित प्रपत्र में तैयार की गई विवरणी।

प्रश्न 51– भू–पार्सल मानचित्र (Land Parcel Map) से क्या अभिप्रेत है?

उत्तर– किसी मानचित्र में प्रदर्शित भू–खण्डो के विशिष्ट भाग को पूर्ण या आंशिक खेसरा के रूप मे प्रदर्शित करने वाला मानचित्र।

प्रश्न 52– खानापुरी पर्चा से सम्बन्धित सूचना रैयतों को रैयते प्राप्त होने पर कितने दिनों में आक्षेप संबंधित पदाधिकारी के पास किया जायेगा?

उत्तर– प्रपत्र–8 में दावा/आक्षेप रैयत द्वारा अधिकतम 15 दिनों में संबंधित पदाधिकारी को समर्पित किया जा सकेगा।

प्रश्न 53– प्रपत्र–8 में दावा/आक्षेप रैयत द्वारा संबंधित पदाधिकारी के पास समर्पित करने पर प्रपत्र में संधारित किया जाएगा?

उत्तर– दावा/आक्षेप को प्रपत्र–10 में एक पृथकपंजी में संधारित किया जाएगा।

प्रश्न 54– खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा किस पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा?

उत्तर– संबंधित कानुनगों द्वारा रैयती भूमि को निपटारा किया जाए और सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा लोक भूमि संबंधित भूमि का निपटारा किया जाएगा।

प्रश्न 55– खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशान किस प्रपत्र में किया जाएगा।

उत्तर– प्रपत्र 12

प्रश्न 56– अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा/आक्षेप रैयतो से आमंत्रित किस प्रपत्र में सूचना करते है।

उत्तर– प्रपत्र 13

प्रश्न 57–मानचित्र सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध किस प्रपत्र में विशेष सर्वेक्षण या बन्दोबस्त शिविर में दायर किया जाएगा।

उत्तर– प्रपत्र 14

प्रष्न 58– प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों में प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा किस स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

उत्तर– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबन्दी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

प्रश्न 59– प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों में प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा कितने दिनो में किया जाएगा।

उत्तर– संक्षिप्त रीति से दावा/आक्षेप दायर होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनो के भीतर निपटारा किया जाएगा।

प्रश्न 60–लगान दर तालिका पर प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् किस प्रदाधिकारी द्वारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर से समर्पित किये गये सम्बन्धित राजस्व ग्रामों की रैयतदार बन्दोबस्ती लगान दर तालिका की जाँच की जाएगी।

उत्तर– प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त द्वारा इसे सम्पुष्ट एवं स्वीकृति के लिए बन्दोंबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रश्न 61– लगान दर तालिका किस प्रपत्र में तैयार किया जाएगा?

उत्तर– प्रपत्र 18 में लगान दर तालिका तैयार किया जाएगा, तत्पश्चात् प्रकाशन विहित स्थानों का आपत्ति प्राप्त किया जाएगा।

प्रश्न 62– यदि कोई रैयत अपने खेतों का आड़–मेढ़ द्वारा यदि छोटे–छोटे टुकरों में क्यारी तैयार कर भिन्न–भिन्न फसल एक ही फसल उग जाता है, जो हवाई सर्वेक्षण एजेन्सी के मानचित्र में अलग–अलग खेसरा प्रतीत होता है, तो ऐसी स्थिती में क्या होगा?

उत्तर– ऐसी स्थिति में जमीन को वर्गीकरण के आधार पर लगातार एक ही भु–खण्ड बनाया जाएगा तथा एक ही खेसरा संख्या दिया जाएगा।

प्रश्न 63– यदि किसी ग्राम में कई टोले है तथा उसका उल्लेख कागजात में हो तो उसकी खानापुरी टोलावार, कि अलग–अलग होगा?

उत्तर– यदि किसी ग्राम में कई टोले है तथा उसका उल्लेख कागजात में हो तो उसकी खानापुरी टोलावार होगी। परन्तु टोले की सरहद मोटी काली रेखा से दिखायी जाएगी।

प्रश्न 64– जो भी याददास्त पंजी में प्रविष्टि किसके आदेश से होगी और आदेश के बाद किस पंजी में प्रविष्टि की जाती है।

उत्तर– जो भी याददास्त पंजी में प्रविष्टि होगी उसपर कानुनगों/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के आदेश किये जाने पर खेसरा पंजी में प्रविष्टि की जाती है।

प्रश्न 65– यदि एक बिन्दु अपने एक पुत्र, एक पुत्री, माता या पिता को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त करता है तो पूरी सम्पत्ति पर खाता किसका खोला जाएगा?

उत्तर– पूरी सम्पत्ति पर पुत्र, पुत्री तथा माता का अशं समान होने के खाता खोला जाएगा। यानि पुत्र, पुत्री, भाग1/3 का अशं व हिस्से बराबर दर्ज किया जाएगा। पिता अपवर्जित रहेगें क्योकिं पिता संयुक्त उत्तराधिकारी की अनुसूचि की प्रथम श्रेणी में नहीं आते हैं।

प्रश्न 66– किसी व्यक्ति/रैयत/अधिकारी द्वारा बसीयत के आधार खेसरा पंजी के स्तंभ–2 में प्रविष्टि किया जा सकता है?

उत्तर– दावाकृत वसीयत से सम्बधित संक्ष्म नयायालय का प्रोवेट आदेश प्रोवेट आदेश के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति आदेश तथा राजस्व रसीद।

प्रश्न 67– दानपत्र के आधार पर खेसरा पंजी में प्रविष्टि किया जाएगा कि नहीं?

उत्तर– दावाकृत पंजीकृत दानपत्र विलेख के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारिज की कारवाई में दी गई स्वीकृति के आदेश की सत्यापित प्रति, शुद्धिपत्र भुगतान किए गए मालगुजारी रसीद की प्रति, शुद्धिपत्र भूगतान किए गए मालगुजारी रसीद की प्रति।

प्रश्न 68– विनियम विलेख के आधार पर खेसरा पंची में प्रविष्टि किया जाएगा कि नहीं?

उत्तर– दावाकृत विनियम विलेख (पंजीकृत) के आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा दी गई दाखिल–खारिज की कारवाई में दिए गए स्वीकार्य के आदेश की सत्यापति प्रति, शुद्धिपत्र या राजस्व रसीद से।

प्रश्न 69–अगर किसी गैरमजरूआ आम भूमि के खसरा पर किसी रैयत द्वारा अवैध देय से खेती किया जाना पाया जाए तो प्रविष्टि लेगा?

उत्तर– उसकी प्रविष्टि रैयत के नाम से नहीं की जाएगी।
प्रश्न 70– गैरमजरूआ आम भूमि का लगान रसीद के आधार पर खाता खोला जा सकता है कि नहीं?
उत्तर– यदि किसी कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा गैरमजरूआ आम भूमि का लगान रसीद काटा जाना पाया जाय तथा अवैध जमाबन्दी खोला जाना पाय जाए ता उसकी मान्यता नहीं दी जानी है तथा खाता उस व्यक्ति/संस्था के नाम से नहीं खुलेगा।
प्रश्न 71–सरकारी रैयत यथा जलकर, डार, मेला आदि गैरमजरूआ आय भूमि पर अव्यस्थित है तो वैसी स्थिति में किसके नाम से खाता खोला जाएगा?
उत्तर–वैसी स्थिति में इस प्रकार के गैरमजरूआ आम भूमि का खाता बिहार सरकार सम्बन्धित विभाग के नाम खोला जाता है।
प्रश्न 72– भूतपूर्व जमींदार/मध्यवर्ती द्वारा निर्गत पट्टे/हुक्मनामें तथा लगान रसीद की मान्यता दी जानी है कि नहीं
उत्तर– नहीं क्योंकि भूतपूर्व जमींदार/मध्यवर्तीयों को गैरमजरूआ आम भुमि की बन्दोबस्ती की शक्ति नहीं थी।

विशेष सर्वेक्षण कार्य में विश्रान्ति प्रक्रम के संबंध में प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न 1– विश्रान्ति से क्या समझते है?
उत्तर– विश्रान्ति से सामान्यतया अभिप्रेत है वह चरण जिसके दौरान खानापुरी के बाद वाले चरण के लिए अभिलेख तैयार किये जाते है।
प्रश्न 2– विश्रान्ति के दौरान कौन सा कार्य किया जाता है ?
उत्तर– विश्रान्ति के दौरान अधिनियम की धारा 7 एवं (9) के अनुसार आपत्ति तथा अपीलों के निपटारा के बाद विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, तरमीम, तरतीब इत्यादि विहित रीति से किया जाएगा।
प्रश्न 3– जाँच क्या है?
उत्तर– अधिकार–अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरान्त तैयार किए गए भू–खण्डों के रकबा तथा राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल एवं चौहदी का, विगत सर्वे–मानचित्र के प्रत्येक भू–खण्ड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहदी सहित कुल क्षेत्रफल से गहन तुलना, जाँच–पड़ताल तथा सत्यापन किया जाएगा। इस प्रक्रिया को ''जाँच'' कहा जाएगा।
प्रश्न 4– सफाई क्या है?
उत्तर– समुचित जाँच–पड़ताल एवं तुलना के बाद नए तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर, अंतिम प्रकाशन हेतु प्रपत्र–20 में चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाएगा इस प्रक्रिया को ''सफाई'' कहा जाएगा।
प्रश्न 5– मुकाबला क्या है?
उत्तर– ग्रामों की सीमा की ग्राम के विगत मानचित्र एवं पूर्व के विभिन्न प्रक्रम पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी इस प्रक्रिया को ''मुकाबला'' कहा जाएगा।
प्रश्न 6– तरमीम क्या है?
उत्तर– खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का, मानचित्र सहित अधिकार–अभिलेख प्रारूप में आवश्यक जोड़/बदलाव करते हुए पालन किया जाएगा जिसे ''तरमीम'' कहा जाएगा।
प्रश्न 7– तरतीब क्या है?
उत्तर– अधिकार–अभिलेख को उसके अन्तिम प्रकाशन के पूर्व, रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जाएगा इस प्रक्रिया को ''तरतीब'' कहा जाएगा।
प्रश्न 8– अधिकार–अभिलेख कितनी प्रति में तैयार कि जायेगी एवं किसे दिया जायेगा?
उत्तर– अधिकार–अभिलेख की चार प्रति तैयार की जाएगी।

1. रैयती फर्द जो संबंधित रैयत को दी जाएगी।
2. अभिधारी खाता पंजी जो अंचल अधिकारी को भेजा जाएगा।
3. मालिकी फर्द जो जिला के समाहर्त्ता को उपलब्ध करायी जाएगी।
4. परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, की अभिरक्षा में रहेगी।

प्रश्न 9– विश्रान्ति के प्रथम चरण में किस प्रक्रम के अभिलेख का जाँच का कार्य किया जाएगा?
उत्तर– विश्रान्ति के प्रथम चरण में खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप की त्रुटिहिन की तैयारी एवं प्रकाशन का कार्य किया जाना है।
प्रश्न 10– विश्रान्ति के द्वितीय चरण में किस प्रकार के जाँच का कार्य किया जाएगा?
उत्तर– विश्रान्ति के द्वितीय चरण में अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के बाद की गई कार्रवाई की जाँच एवं अंतिम प्रकाशन हेतु अभिलेख का तैयार किया जाना।
प्रश्न 11– जाँच शाखा में जाने के बाद नक्शे में सुधार का अधिकार है या नहीं?
उत्तर– विश्रान्ति में नक्शा में सुधार का अधिकार जाँच प्रशाखा को है।
प्रश्न 12– किस्तवार में सत्यापन नहीं होता है और अधिकतर आपत्ति रकबे को लेकर आती है, क्या करे?
उत्तर–शिविर प्रभारी कानूनगो एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अमीन के कार्यो की जाँच तथा सत्यापन का सही मूल्यांकन करना होता है। जिसकी जबावदेही शिविर प्रभारी की होती है। अगर सत्यापन सही–सही कर लिये जायेंगे तो रकबा समबन्धित कोई भिन्नता नही आयेगी।

विशेष सर्वेक्षण कार्य में दावा/आक्षेपों पर सुनवाई प्रक्रम के संबंध में प्रश्न एवं उत्तर

प्रश्न 1– प्रपत्र 8 के विरूद्ध प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन कितने कार्य दिवस में किया जाना है?
उत्तर– प्रपत्र 10 में संधारित्र पंजी मे प्रवृष्टि के पश्चात कानूनगो द्वारा क्रमशः रैयती भूमि का, सरकारी भूमि के आक्षेपों का निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा तीस कार्य दिवसों के भीतर किया जाना है।
प्रश्न 2– खानापुरी पर्चा की प्रवृष्टियों के विरूद्ध प्राप्त दावा/आक्षेपों के सुनवाई के उपरान्त् प्रपत्र 12 में किस पदाधिकारी और कितने कार्य दिवसों के लिए अभिप्रमाणित कर प्रकाशित किया जाएगा?
उत्तर– खानापुरी अधिकार अभिलेख तैयार कर मानचित्र के साथ सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर तथा तीस दिनों के लिए विहित स्थानों पर प्रकाशित किया जाएगा।

प्रश्न 3– दावा/आक्षेपों का निष्पादन में किस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना है?
उत्तर– कानूनगो/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त दावा/आपत्ति के आलोक में सुनवाई से सम्बन्धित कार्यवाही का प्रारम्भण किया जाता है, सम्बन्धित पक्षों को विहित प्रक्रिया के अनुसार सूचना/नोटिस तामील कराए जाने की कार्रवाई की जाती है तथा समबद्ध पक्षों द्वारा दाखिल भू–स्वामित्व से सम्बन्धित दस्तावेजों/कागजातों, यथावश्यक स्थानीय जाँच के आधार पर अर्द्ध–न्यायिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए रैयती भूमि से सम्बन्धित दावे/आक्षेपों का निष्पादन कानूनगो द्वारा तथा सरकारी भूमि से सम्बन्धित दावा/आक्षेपों का निष्पादन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।
प्रश्न 4– प्रपत्र 8 एवं प्रपत्र 14 में प्राप्त आपत्ति/दावा के विरूद्ध सुनवाई के क्रम में सूचना की अवधि अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगी?
उत्तर– सूचना की अवधि 14 की दिनों की होगी और यदि आवश्यक हो तो द्वितीय/तृतीय सूचना की अवधि एक सप्ताह की होगी।
प्रश्न 5– सुनवाई के क्रम में एकपक्षीय निपटारा किस परिस्थिति में किया जाना चाहिए?
उत्तर– सूचना/नोटिस के विधिवत् तामीला के बाद भी यदि पक्षकारों में से कोई निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हो तो उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं स्थल सत्यापन के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा की कार्रवाई की जानी है। यदि दायर किए गए दावों/आक्षपों का सम्बन्ध सरकारी भूमि/लोक भूमि से हो तो उसकी सुनवाई एवं निपटारा में राजस्व विभागीय निदेश पत्रांक 241,दिनांक 7.2.2018 का अनुपालन किया जाना है।
प्रश्न 6– अधिकार अभिलेख को धारा 11 तथा नियम 15 के उपनियम 1 के प्रावधान के अनुसार अंतिम प्रकाशन किस पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ कितनी अवधि के लिए प्रकाशित किया जाना है?
उत्तर – जिला बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर के अधीन अंतिम रूप से लगातार तीस दिनों की अवधि के लिए प्रकाशन सार्वजनिक स्थानों पर एवं बन्दोबस्त कार्योलयों में किया जाना है।
प्रश्न 7– खानापुरी प्रचालन के दौरान सरकारी भूमि पर प्राप्त दावा/आपत्ति का निष्पादन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया गया है तब प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् उसी पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा कि नहीं?
उत्तर– दावा/आक्षेप के निपटारा की प्रक्रिया में खानापुरी प्रचालन (नियम 9) के दौरान वैसे पदाधिकारी (सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी) द्वारा किया गया हो तो वैसी भूमि (सरकारी) से सम्बन्धित दावों/आक्षेपों का निपटारा उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 8– यदि कोई पक्ष नोटिस तामीला के बाद निर्धारित तिथि को किसी कारणवश सुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है तो अपना पक्ष कैसे रखेगा?
उत्तर– यादि कोई पक्ष विहित प्रक्रियानुसार नोटिस तामीला के बाद सुनवाई की निर्धारित तिथि को उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपने स्थान पर अपने विधिक प्रतिनिधि/विधिक व्यवसायी/अधिवक्ता को पक्ष रखने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
प्रश्न 9– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर पर खानापुरी के दौरान पारित आदेश में त्रुटि रहने पर कानूनगों द्वारा प्रपत्र–8 की सुनवाई के दौरान क्या किया जाय।
उत्तर– सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के स्तर खानापुरी के क्रम में याददास्त में पारित आदेश के विरूद्ध प्रपत्र–13 में किसी अन्य सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी और कानूनगों द्वारा प्रपत्र–8 में सुनवाई नहीं की जाएगी।
प्रश्न 10– सिविल न्यायालय द्वारा गैरमजरूआ आम/मालिक भूमि पर रैयतों के पक्ष में डिक्री (निर्णय अदेश की प्रति) की प्रति प्रस्तुत की जाती है दखल कब्जा एवं सरकारी रसीद की प्रति दी जाती है। इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण प्रक्रिया के तहत प्रविष्टि सम्बन्धी मंतव्य की आवश्यकता है।
उत्तर– सिविल न्यायालय द्वारा गैर–मजरूआ आम/मालिक भूमि का रैयती घोषित किया गया है। सरकारी लगान रसीद जमींदारी उन्मूलन से निर्गत हो रही है और रैयत का दखल कब्जा है वैसी स्थिति में खाता खोला जा सकता है।